मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

Bagod, Nadiya, Pipalya MVRWSS
District- Khargone
Village- Banjari

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

vuØef.kdk

Ø-	foojk.k	i"B Ø-
	Hkkx & ,d	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	विभागीय संरचना	1
1.3	परिक्षेत्र कार्यालय	1
1.4	जल परीक्षण प्रयोगशालायें	2
1.5	विभागीय उद्देश्य एवं कार्य	2
	Hkkx & nks	
2.1	बजट विहंगावलोकन	4
2.2	जेन्डर रिस्पोंसिव बजट का क्रियान्वयन	5
	Hkkx & rhu	
3.1	राज्य एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं	6
3.2	आदिवासी उपयोजना	12
3.3	अनुसूचित जाति उपयोजना	12
3.4	ग्रामीण नलजल/स्थलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन	13
3.5	एकीकृत कार्य क्षेत्र कार्यक्रम (आई.ए.पी.) जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था	16
3.6	पेयजल व्यवस्था की निगरानी	20
3.7	गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्त्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण	20
3.8	भू जल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम	22
3.9	विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण	27
3.10	प्रशिक्षण कार्यक्रम	31
3.11	विभागीय कम्प्यूटरीकरण	32
3.12	नगरीय पेयजल कार्यक्रम	34
	Hkkx & pkj	
4.1	सामान्य प्रशासनिक विषय	36
4.2	सूचना का अधिकार	37
4.3	वर्ष 2016 में विधान सभा प्रश्नों आदि से संबंधित कार्यों का विवरण	38
	Hkkx& ikp	
5.1	बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज	39
5.2	प्रदेश में 24x7 दिवस जलप्रदाय वाली ग्रामीण नलजल योजनाओं की सफलता की कहानी	39
5.3	सिंहस्थ 2016 में पेयजल व्यवस्था हेतु प्रस्तावित कार्यों का विवरण	41
5.4	मध्यप्रदेश ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	49
6	राज्य जल सहायता संगठन	50
7	जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम	54
	Hkkx & N%	
6.1	विभागीय प्रकाशन से संबंधित जानकारी	57
	Hkkx & lkr	
7.1	सारांश	57
8	मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित	59

e/; inns'k 'kklu

ykd LokLF; ;kf=dh foHkkx

okf"kd i'kkldh; ifronu

o"k 2016&17

e=h

ekuuh; lJh dle flg egny

e=ky;

●	ie[k lfpo	▶	Mk- euk t xkfoy ¼vkbZ-,-,l-½
●	उप सचिव (स्थापना)	▶	श्री एस. एस. कुमरे (आई.ए.एस.)
●	उप सचिव (तकनीकी)	▶	श्री राजेश शाक्यवार
●	अवर सचिव (स्थापना)	▶	श्री एस. के. सेन्द्रे
●	अवर सचिव (तकनीकी)	▶	श्री एन. के. वैद्य

foHkkxk/;{k

●	ie[k vfHk;rk	▶	Jh th- ,l- Mkekj
●	प्रमुख अभियंता (सलाहकार)	▶	श्री जी. एस. डामोर
●	संचालक (जल सहायता संगठन)	▶	श्री जी. एस. डामोर
●	मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र)	▶	श्री सी. एस. संकुले
●	मुख्य अभियंता (इंदौर परिक्षेत्र)	▶	श्री के. के. सोनगरिया
●	मुख्य अभियंता (ग्वालियर परिक्षेत्र)	▶	श्री एस.के. अंधवान (प्रभारी)
●	मुख्य अभियंता (जबलपुर परिक्षेत्र)	▶	श्री पी. के. मैदमवार (प्रभारी)
●	मुख्य अभियंता (वि./यां.) भोपाल	▶	श्री अशोक बघेल (प्रभारी)

e/; inn'k ty fuxe e;kfnr

●	ic/k lpkyd	▶	Mk- euk t xkfoy ¼vkbZ-,-,l-½
●	मुख्य महाप्रबंधक	▶	श्री एन. पी. मालवीय

1- Hkkx & ,d

1-1 iLrkouk %&

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार, शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों, शालाओं, आंगनवाडियों एवं गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन शासन की निर्धारित नीति/मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

1-2 foHkkxh; lajpuk %&

- ### 'kklu Lrjh; %&

  लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय में प्रमुख सचिव पदस्थ हैं। उनके अधीन तकनीकी शाखा में वर्तमान में उप सचिव तथा अवर सचिव एवं स्थापना शाखा में एक उप सचिव तथा अवर सचिव कार्यरत हैं।

- ### ize[k vfHk;Urk dk;kZy; %&

  विभागाध्यक्ष के रूप में मुख्यालय में प्रमुख अभियंता पदस्थ हैं। विभाग में प्रमुख अभियन्ता तथा जल सहायता संगठन प्रकोष्ठ के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर का संचालक का एक–एक पद स्वीकृत है। प्रदेश में 5 परिक्षेत्र (चार सिविल एवं एक विद्युत/यांत्रिकी) कार्यालय हैं, जो मुख्य अभियन्ताओं के अधीन हैं। विभाग में स्वीकृत विभिन्न पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

- मुख्य अभियन्ता (सिविल) – 04 पद
- संचालक (जल सहायता संगठन) – 01 पद
- मुख्य अभियन्ता (वि./यां.) – 01 पद
- अधीक्षण यन्त्री (सिविल) – 24 पद
- अधीक्षण यन्त्री (वि./यां.) – 05 पद
- कार्यपालन यन्त्री (सिविल) – 74 पद
- कार्यपालन यन्त्री (वि./यां.) – 11 पद
- सहायक यन्त्री (सिविल) – 241 पद
- सहायक यन्त्री (वि./यां.) – 62 पद
- उपयंत्री (सिविल) – 974 पद
- उप यन्त्री (वि./यां.) – 263 पद

1-3 ifj{k= dk;kZy; %&

विभाग की मैदानी स्थापना पांच परिक्षेत्रों में विभाजित है जिनमें चार सिविल कार्यों एवं एक वि./यां. कार्यों से संबंधित है। सिविल कार्य हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र मुख्य अभियंता (सिविल) के अधीन है, परिक्षेत्र मुख्यालय

क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में स्थित हैं। सिविल कार्यों हेतु परिक्षेत्र भोपाल के अंतर्गत भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग, इंदौर परिक्षेत्र के अंतर्गत इंदौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर, चंबल तथा सागर राजस्व संभाग एवं जबलपुर परिक्षेत्र के अतंर्गत जबलपुर, रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग हैं। विभाग में एक मुख्य अभियन्ता (वि./यां.) हैं जिनका मुख्यालय भोपाल है एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश है। विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा नलकूप खनन के कार्य इनके माध्यम से किये जाते हैं।

- **eMy dk;ky; %&**

प्रदेश में संभाग स्तर पर 10 संभागों क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, चम्बल, पन्ना, खरगोन एवं परियोजना मण्डल छिन्दवाड़ा सहित कुल 13 मंडल कार्यालय स्थापित हैं जिनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्य किये जाते हैं तथा अधीनस्थ खंडों एवं उपखंडों पर उनके द्वारा प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। प्रत्येक मंडल कार्यालय अधीक्षण यंत्री के अधीन हैं।

- **[kM dk;ky; %&**

मध्यप्रदेश के सभी 51 जिलों में 55 सिविल खंड एवं 7 सम्भागीय मुख्यालयों क्रमशः भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रीवा पर 7 वि./यां. खण्ड स्थापित हैं। मंडलेश्वर में एक वि./यां. खण्ड नगर निगम इंदौर के अधीन कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 5 परियोजना खण्ड, 6 संधारण खण्ड, 1 गुणवता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल कार्यालय स्थापित हैं।

प्रदेश में कुल 204 उपखण्ड सिविल संकाय के एवं 46 जिलों में 47 वि./यां. उपखंड कार्यालय स्थापित हैं, प्रत्येक उपखंड कार्यालय सहायक यंत्री के अधीन हैं। 5 जिलों क्रमशः बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, अलीराजपुर एवं आगर में वि./यां. उपखण्ड स्थापित नहीं हैं।

1-4 ty ijh{k.k iz;ksx'kkyk;sa %&

jkT; Lrj %& प्रदेश में राज्य स्तर पर एक राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित है, जो मुख्य रसायनज्ञ/बायोलॉजिस्ट के अधीन, गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल के अंतर्गत कार्यरत् है।

ftyk Lrj %& प्रत्येक जिले में एक – एक, इस प्रकार कुल 51 जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित है, प्रयोगशालायें कार्यपालन यंत्री के नियंत्रण में कार्य करती है।

mi[k.M Lrj %& प्रत्येक जिले में उपखण्ड स्तर पर एक–एक उपखण्ड स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित है, उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालायें सहायक यंत्री के नियंत्रण में कार्य करती है।

1-5 foHkkxh; mís'; ,oa dk;Z %&

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है

1. ग्रामीण बसाहटों में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल प्रदाय हेतु सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन।
2. ग्रामीण हैंडपंप योजनाओं का संधारण।
3. ग्रामों में राज्य शासन की नीति अनुसार नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन।
4. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।

5. आदिवासी आश्रम–छात्रावासों, आँगनवाड़ियों तथा ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था।

6. जल प्रदाय योजनाओं के स्त्रोतों के स्थायित्व हेतु भू–जल पुनर्भरण एवं संवर्धन योजनाओं तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं का क्रियान्वयन।

7. परम्परागत जलस्त्रोतों का जीर्णोद्धार कर पेयजल आपूर्ति हेतु उपयोगी बनाना।

8. पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता का अनुश्रवण व निगरानी।

9. सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन।

10. नगरीय निकायों द्वारा चाहे जाने पर, नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय एवं मल जल निकासी योजनाओं के सर्वेक्षण, अन्वेषण, योजना प्रतिवेदन तैयार करने व निक्षेप कार्य के रूप में योजनाओं का क्रियान्वयन।

xkeh.k clkgVks esa lqjf{kr ,oa LoPN is;ty inka; gsrq ty inka; ;kstukvksa dk fØ;kUo;uA

2- Hkkx & nk

2-1 ctV fogxkoykdu %&

foxr rhu o"kk dh fLFkfr fuEukulkj g %&

* **jkT; vk;ktuk d vUrxr** वर्ष 2014–15 के लिये विभाग की योजना सीमा रुपये 137789.03 लाख निर्धारित की गई थी। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के अन्तर्गत कुल रुपये 147058.01 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी थी जिसके विरुद्ध कुल रुपये 114576.80 लाख का व्यय किया गया।

  jk"Vh; xkeh.k i; ty dk;Øe d vrxr वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा पेयजल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु रुपये 53940.89 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया था जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध कुल रुपये 38116.67 लाख का व्यय किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 3474.27 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित), जिसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 1890.00 लाख व्यय किये गये।

* **jkT; vk;ktuk d vUrxr** वर्ष 2015–16 के लिये विभाग की योजना सीमा रुपये 159496.82 लाख निर्धारित की गई थी। राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित योजना सीमा के विरुद्ध वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद (राज्यांश) के अन्तर्गत रुपये 116014.16 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया, जिसके विरुद्ध कुल रुपये 78566.90 लाख (राज्यांश मद के अन्तर्गत) का व्यय किया गया।

  jk"Vh; xkeh.k i; ty dk;Øe d vrxr वर्ष 2015–16 के लिये भारत सरकार द्वारा पेयजल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु रुपये 36500.05 लाख उपलब्ध कराये गये थे जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध कुल राशि रुपये 36348.72 लाख का व्यय किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 3155.00 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित) जिसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 2576.00 लाख व्यय किये गये।

* **jkT; vk;ktuk d vUrxr** वर्ष 2016–17 के लिये राज्य योजना आयोग द्वारा विभाग की योजना सीमा रुपये 219069.08 लाख स्वीकृत की गई है, इसमें मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित हेतु रुपये 105100.01 लाख की राशि सम्मिलित है। राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित योजना सीमा के अन्तर्गत योजना/कार्यक्रमों के वित्तीय ढॉचे के अनुसार केन्द्रांश से प्राप्त होने वाली राशियों को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा विभाग को प्राप्त होने वाली राशि के अन्तर्गत बजट में कुल रुपये 219069.08 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें रुपये 56319.53 लाख का प्रावधान केन्द्रांश के लिये है। विभाग द्वारा सभी मदों में कुल रुपये 47342.45 लाख व्यय किये गये हैं।

  jk"Vh; xkeh.k i; ty dk;Øe d vrxr वर्ष 2016–17 के लिये चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा आवंटन में भारी कमी की गई है जिसके कारण पेयजल कार्यक्रमों के वित्तीय ढॉचे के अनुरूप केन्द्रांश में कटौती के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा भी समतुल्य राशि उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार द्वारा पेयजल कार्यक्रमों हेतु अभी तक रुपये 17428.90 लाख उपलब्ध कराये गये हैं जिसमें विगत वर्ष की शेष

राशि भी सम्मिलित है। इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत (राज्यांश+केन्द्रांश) विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कुल रुपये 33679.21 लाख का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत है, इसके विरुद्ध कुल रुपये 28391.03 लाख व्यय किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत रुपये 1741.84 लाख की राशि प्राप्त हुई (विगत वर्ष की शेष राशि सहित), जिसके विरुद्ध रुपये 1321.95 लाख का व्यय विभिन्न गतिविधियों में किया गया है।

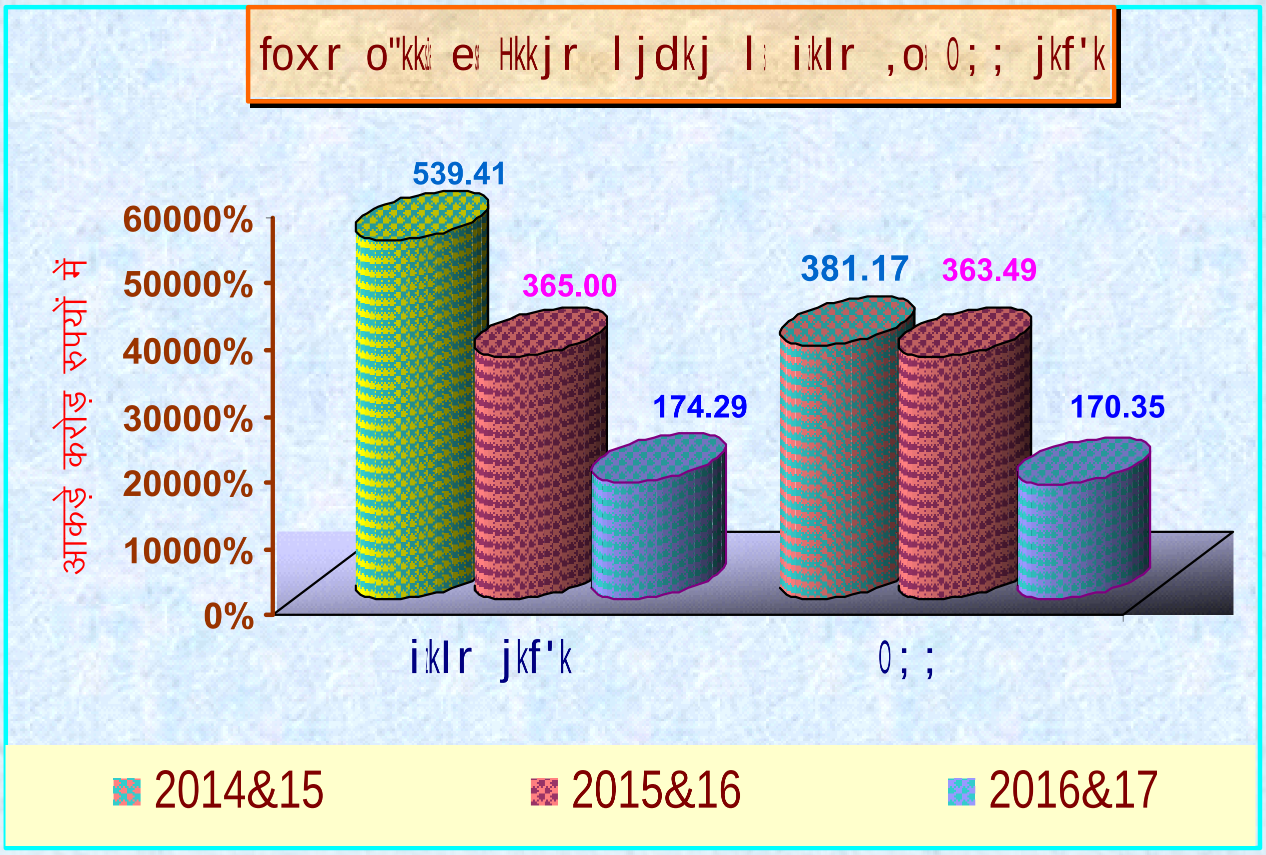

2-2 tsaMj fjLikfUlo ctV dk fØ;kUo;u %&

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में, जेण्डर समानता, समीक्षा एवं निगरानी हेतु विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं पेयजल की योजनाओं से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना ही पेयजल योजनाओं का उद्देश्य है, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख अभियन्ता कार्यालय स्तर पर þtsaMj ctfVax lsyß का गठन किया है। गठित सेल द्वारा विभाग के कार्यों एवं दृष्टिकोण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं पेयजल की योजनाओं से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो इन्हीं मूल उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

3- Hkkx & rhu

3-1 jkT; ,oa dsUnz {ks=h; ;kstuk,a %&

3-1-1 xzkeh.k is;ty dk;Øe %&

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्ग दर्शिका के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक भारत सरकार से प्राप्त राशि के समतुल्य राशि (50:50) राज्य शासन द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती थी, वर्ष 2016–17 से सभी कार्यक्रमों हेतु वित्तीय ढॉचे का अनुपात 60:40 (केन्द्रांश एवं राज्यांश) निर्धारित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा बसाहटों में पेयजल प्रदाय का स्तर हैण्डपम्प योजनाओं से जलप्रदाय हेतु 55 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन एवं नलजल योजनाओं के माध्यम से 70 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन निर्धारित किया गया है।

प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं भू–गर्भीय जल स्त्रोतों (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित हैं। नवीन दिशा–निर्देशों के अनुरूप अब विभाग द्वारा अधिकाधिक मात्रा में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि नलजल योजनाओं से पेयजल प्रदाय के वर्तमान स्तर 30 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाया जा सके।

3-1-2 clkgVksa esa tyiznk; O;oLFkk dk ekun.M %&

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका में लाभान्वित समुदाय को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह स्वयं के लिये जलप्रदाय का स्तर स्वयं निर्धारित कर सके, इस प्रावधान के अनुसार बसाहट को पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:–

(क) ऐसी बसाहटें जिनमें प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ख) प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 500 मीटर की परिधि में सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 30 मीटर की ऊॅचाई या निचाई पर पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(घ) ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

3-1-3 clkgVksa esa dk;Z dh izkFkfedrk %&

- izkFkfedrk,a fuEukuqlkj fu/kkZfjr dh xbZ gSa %&

1. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था।

2. ऐसी बसाहटें जिनमें जनसंख्या के मान से निर्धारित मापदण्डानुसार सुरक्षित पेयजल व्यवस्था नहीं है। (अनु.जाति/अनु.जनजाति बाहुल्य बसाहटों को प्राथमिकता)

3. शासकीय भवनयुक्त ग्रामीण शालाओं/आँगनवाड़ियों में पेयजल की व्यवस्था।

4. आदिम जाति आश्रम/छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

3-1-4 clkgVksa esa is;ty O;oLFkk dh fLFkfr %&

प्रदेश में विगत वर्षों में किये गये कार्यों के फलस्वरूप 31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में कुल 128067 बसाहटों में से 105852 बसाहटें 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से पूर्णतः आच्छादित की श्रेणी में हैं एवं 22215 बसाहटें आंशिक पूर्ण श्रेणी में हैं, तथा इन बसाहटों में 40 लीटर से अधिक एवं 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से कम पेयजल उपलब्ध हैं, उपरोक्त आंशिक पूर्ण बसाहटों में जल गुणवत्ता से प्रभावित 153 बसाहटें भी सम्मिलित हैं। शासन की वर्तमान प्राथमिकता अनुसार पेयजल हेतु हैण्डपंपों पर निर्भरता कम करते हुए ग्रामीण आबादी को अधिक से अधिक घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। अतः बसाहटों के आच्छादन हेतु नलकूप आधारित योजनाओं पर निर्भरता कम करते हुये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

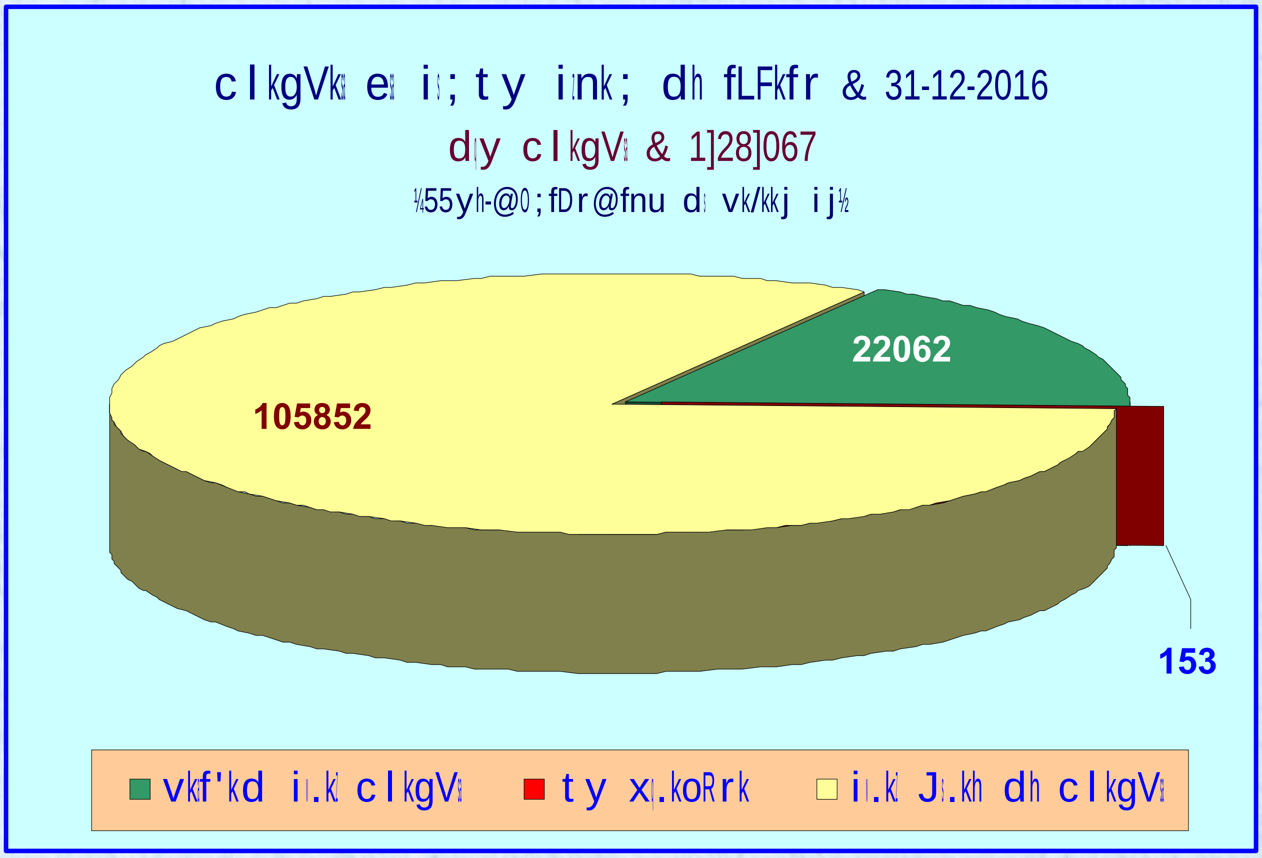

- **gS.Mi i ;kstukvksa ls vkPNknu %&**

वर्ष 2016–17 में कुल 5500 आंशिक पूर्ण बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित करने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक कुल 5072 बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित किया गया है। शेष बसाहटों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य किये जा रहे हैं।

- **uy ty ;kstukvksa ls clkgVksa dk vkPNknu %&**

वर्ष 2016–17 में नलजल योजनाओं के माध्यम से 400 बसाहटों के आच्छादन के लक्ष्य विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक कुल 371 बसाहटों/नलजल योजनाओं को पूर्णतः आच्छादित किया गया है। शेष बसाहटों/योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में पूर्ण की गई बसाहटों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

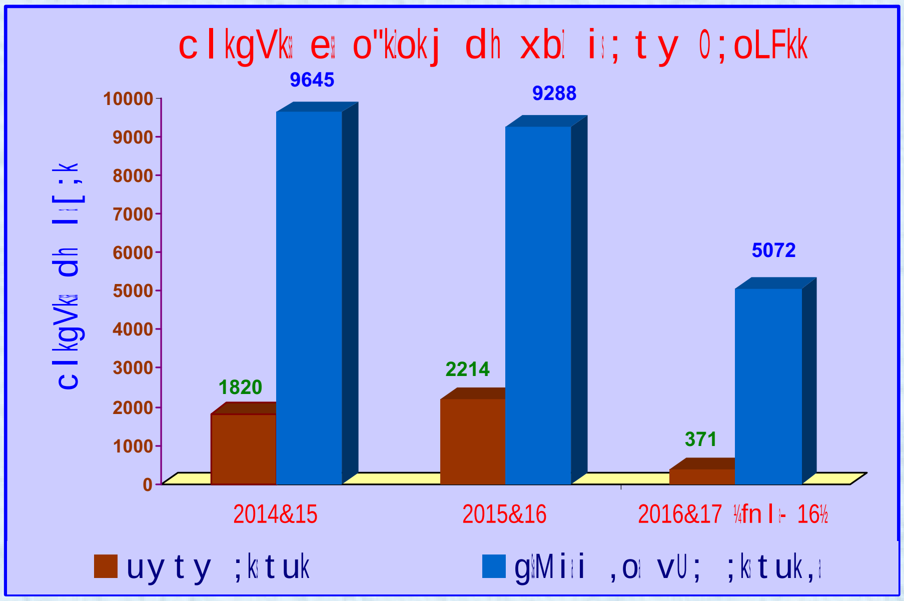

xzkeh.k iS;ty dk;Zøe ds vUrxZr fØ;kfUor vkn'kZ uy&ty ;kstuk] xzke & FkkMkjkn] fodkl[k.M&vkxj] ftyk &vkxj ekyok

3-1-5 x|.koRrk iHkkfor clkgVk e dk;l %&

प्रदेश के कुछ जिलों के पेयजल स्रोतों में रसायनिक तत्वों की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक पाई गई है। इनमें फ्लोराईड व लौह तत्व हैं। कुछ जिलों के पेयजल स्रोतों में लवणों की अधिकता के कारण खारे पानी की समस्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

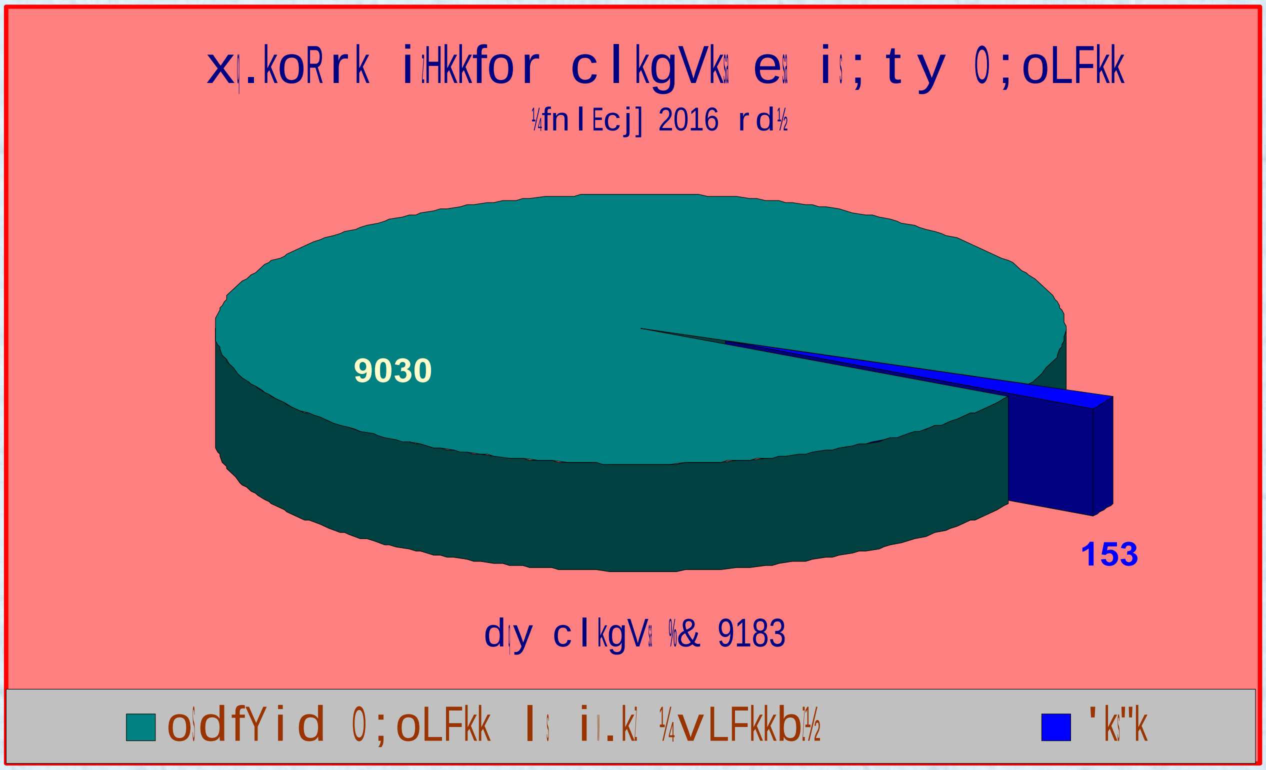

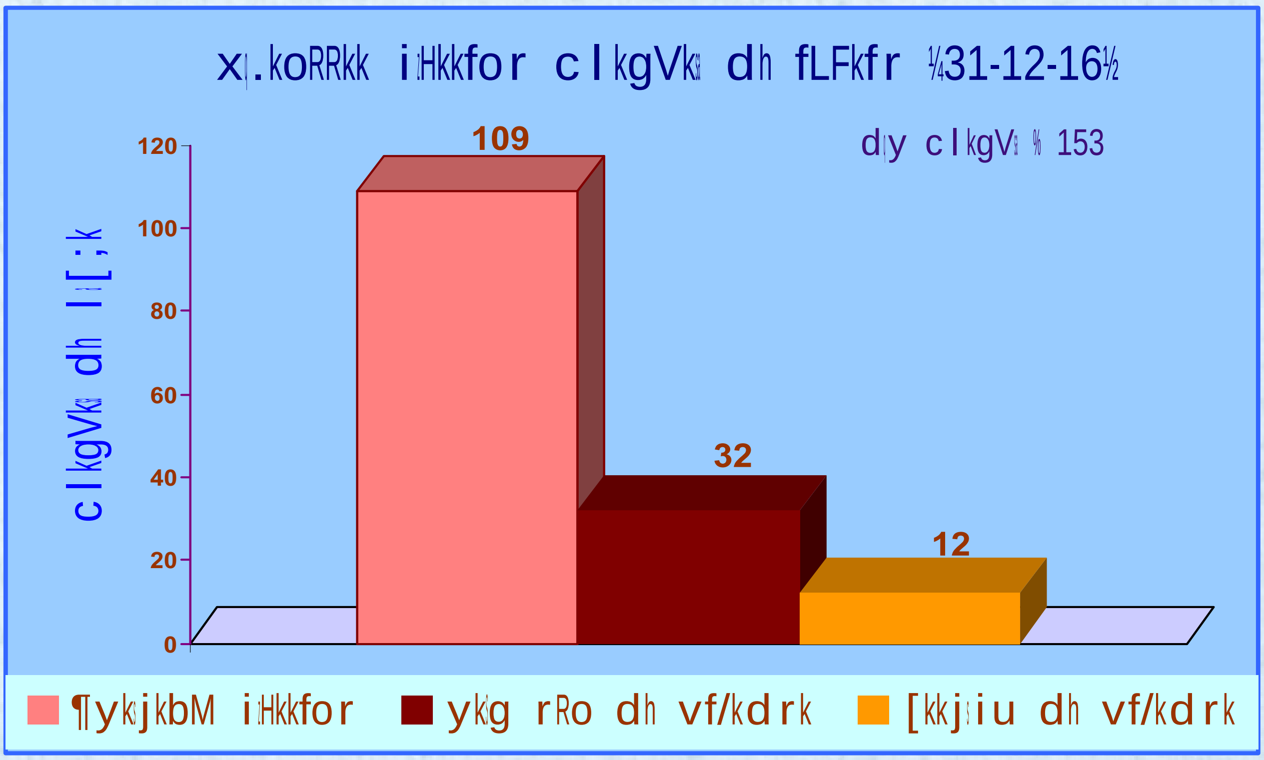

प्रदेश की कुल गुणवत्ता प्रभावित चिन्हित 9183 बसाहटों में से 9030 बसाहटों में सुरक्षित वैकल्पिक स्त्रोतों पर आधारित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल माह दिसम्बर, 2016 तक उपलब्ध कराया जा चुका है। दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में शेष 273 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से कुल 120 बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है एवं शेष 153 बसाहटों में कार्य प्रगति पर हैं, इनमें से 109 फ्लोराइड से, प्रभावित बसाहटों में 31 मार्च 2017 तक वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3-1-6 xkeh.k 'kkykvk ,o vkxuokfM;k e ty ink; %&

ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रदेश की सभी शासकीय भवन युक्त ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है, तथापि ऐसी शालाओं, जिनमें स्रोत असफल अथवा गुणवत्ता प्रभावित हो गए हैं, में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है।

xkeh.k i;ty dk;Øe d vUrxr xkeh.k 'kkykvk e 'k) i;ty 0;oLFkk

वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक कुल 629 पेयजल विहीन चिन्हित ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। इसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य 550 के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक कुल 526 पेयजल विहीन शासकीय भवनयुक्त ऑगनवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है।

3-1-7 Hk ty lo/ku ,o lkr LFkkf;Ro dk;k dh ixfr %&

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक कुल 4287 विभिन्न प्रकार की भू जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण पेयजल स्रोतों के स्थायित्व हेतु किया जा चुका है।

3-1-8 vkJe@Nk=kokl ksa esa ikst y O;oLFkk dk lqn<+hdj.k %&

प्रदेश के सभी अनुसूचितजाति/जनजाति के आश्रम–छात्रावासों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा अनुसूचितजाति/जनजाति के आश्रम–छात्रावासों में सोलर पंप के माध्यम से पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के कार्य किये गये हैं। माह दिसम्बर, 2016 तक तक 17 आश्रम छात्रावासों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

3-1-9 gSaMiai&IysVQkeZ dk iqufuZek.k %&

वर्ष 2016–17 के दौरान पुराने एवं क्षतिग्रस्त हैंडपंप प्लेटफार्म के स्थान पर 5000 नये प्लेटफार्म निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक कुल 3070 प्लेटफार्म निर्मित किए गए हैं।

xzkeh.k ikst y O;oLFkk ds vUrxZr IysVQkeZ dk fuekZ.k& xzke [kkuq[kMk] iapk;r 'kDdj[kMh] fodkl[k.M lhrkeÅ] ftyk eUnlkj

3-1-10 lzksr lw[kus ls cUn ;kstukvksa esa lzksr fuekZ.k %&

ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन/संधारण का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का है, तथापि नलजल योजनाओं के स्रोत सूख जाने से बन्द पेयजल योजनाओं में विभाग द्वारा स्रोत निर्मित कर योजना पुनः चालू की जाती है। इसी के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक कुल 947 बन्द योजनाओं में नये स्रोत निर्मित कर योजनाएं पुनः चालू की गयीं।

3-1-11 ekuuh; eq[;ea=hth dh ?kks"k.kkvksa dk fØ;kUo;u %&

प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2017 तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई कुल 193 घोषणाओं के विरुद्ध कुल 106

घोषणाओं को पूर्ण किया जा चुका है, शेष 52 घोषणाओं के कार्य पूर्ण सतत् एवं 35 घोषणाएं लम्बित हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

3-2 vkfnoklh mi;kstuk %&

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा वर्तमान में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी बहुल बसाहटों में वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर 16 तक कुल 1686 बसाहटों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष बसाहटों में कार्य निरंतरित हैं।

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विगत वर्षो में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

- भौतिक उपलब्धि

Ø-	dk;Øe	2014&15	2015&16	2016&17 ¼fnl- 16½
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	3470	2860	1510
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	920	595	92
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	422	218	84
4	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	1085	760	201
5	ग्रामीण ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	1328	872	158

- विगत तीन वर्षो के दौरान आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत हुये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(रुपये लाख में)

Ø-	fooj.k	2014&15	2015&16	2016&17 ¼fnlEcj] 16½
1	ग्रामीण क्षेत्र	26880.60	23865.36	12104.72

3-3 vuqlfpr tkfr mi;kstuk %&

अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा वर्तमान में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल बसाहटों में वर्ष 2016–17 में माह दिसंबर, 16 तक कुल 765 बसाहटों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष बसाहटों में कार्य निरंतरित हैं।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विगत वर्षो में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

• भौतिक उपलब्धि

Ø-	dk;Øe	2014&15	2015&16	2016&17 ¼fnl-] 16½
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	2514	1476	677
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	580	265	60
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	117	62	28
4	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	850	422	113
5	ग्रामीण ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	1138	485	95

• विगत तीन वर्षो के दौरान अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत हुये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :– (रुपये लाख में)

Ø-	foooj.k	2014&15	2015&16	2016&17 ¼fnlcj 16½
1	ग्रामीण क्षेत्र	16384.49	20361.27	4825.62
2	नगरीय क्षेत्र	0.00	0.00	9.00
	;kx %	16384.49	20361.27	4834.62

3-4 xkeh.k uy ty@LFky ty iznk; ;kstukvksa dk fØ;kUo;u %&

ग्रामीण बसाहटों में पेयजल के लिए प्रदेश में सामान्यतः हैण्डपंप योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं किन्तु बड़े ग्रामों में अथवा ऐसे ग्रामों में जहां दूर से पानी लाया जाना आवश्यक हो, वहां नल जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। सभी नल जल/स्थल जल प्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में, विशेषकर स्रोत सूख जाने की स्थिति में विभाग द्वारा नये स्रोत का निर्माण भी किया जाता है। जिन ग्रामों में नलकूपों में अधिक गहराई पर पानी उपलब्ध हो, वहॉ हैण्डपम्प के स्थान पर पावर पंप स्थापित कर स्थल जल योजनाएं (स्पॉट सोर्स योजना) भी क्रियान्वित की जाती हैं।

ykd LokLF; ;kf=dh foHkkx ds iez[k lfpo Mk- eukst xkfoy }kjk jryke ds xke eÅ esa tuHkkxhnkjh vk/kkfjr 24x7 uy ty iznk; ;kstuk dk fujh{k.k djrs gq, mi lfefr dh v/;{k ,oa lnL;ksa ls ppkZ djrs gq,A

jryke dk xzke eÅ ea tuHkkxhnkjh vk/kkfjr 24x7 uyty iznk; ;kstuk dk fØ;kUo;u dj
?kjsyw uy duD'ku ds ek/;e ls tyiznk; 0;oLFkk

राज्य शासन द्वारा नलजल योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. नलजल योजना का प्रस्ताव ग्राम पंचायत / तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति / पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से ग्राम की सर्वसहमति के आधार पर लेना होगा।
2. नलजल योजना का संचालन एवं संधारण तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति / पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से किया जावेगा, इस आशय की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
3. नलजल योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।
4. नलजल योजना से घरों में निजी कनेक्शन लेने हेतु कम से कम 75 प्रतिशत परिवारों द्वारा लिखित सहमति देनी होगी।
5. सामान्य परिवारों के बाहुल्य वाले ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 3.00 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचित जाति / जनजाति बहुल ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 1.00 प्रतिशत अंशदान जन सहयोग के रूप में एकत्र करना होगा।
6. अंशदान के रूप में एकत्रित राशि सावधि जमा के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी करा कर विभाग द्वारा जमा कराई जावेगी।
7. जिन समितियों द्वारा नलजल योजना सफलता पूर्वक चलाई जावेगी उन योजनाओं में एकत्रित अंशदान की राशि में से 20.00 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष के मान से प्रोत्साहन राशि के रूप में आने वाले 5 वर्षों में उस समिति को वापस कर दी जावेगी।

xkeh.k i;ty dk;Øe ds vUrxZr vkj-lh-lh mPpLrjh; Vadh dk fuekZ.k& lkaln vkn'kZ xzke iksVyksn] ftyk bUnkSj

8. पानी का वितरण ग्राम के सभी परिवारों में समान रूप से हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

9. विभिन्न उपभोक्ताओं हेतु देय जलकर की राशि का निर्धारण ग्राम की जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जावेगा। अत्यन्त कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को समिति द्वारा जलकर जमा करने से पूर्ण अथवा आंशिक छूट भी दी जा सकती है।

xkeh.k is;ty dk;Øe ds vUrxZr fprkSe.k eyk {k= gsrq 150 fd-yh- {kerk] 15 ehVj LVsftx dh vkj-lh-lh mPpLrjh; Vadh dk fuekZ.k& xke fprkSe.k tokfl;k] fodkl [k.M mTtSu] ftyk mTtSu

3-5 ,dhd`r {ks= dk;Øe ¼vkbZ-,-ih-½ ftyksa esa lkSj ÅtkZ vk/kkfjr iEiksa ds ek/;e ls is;ty O;oLFkk%&

एकीकृत क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिले क्रमशः मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया आते हैं। इन जिलों की 1199 बसाहटों में सौर ऊर्जा पर आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष द्वारा योजना लागत की

40 प्रतिशत तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 30–30 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष द्वारा रुपये 1364.76 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। प्राप्त राशि का उपयोग कर 1403 योजनाओं के विरुद्ध कुल 1036 सोलर पंप आधारित योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। शेष कार्य प्रगतिरत् है। इन योजनाओं में 250 तक की आबादी वाले ग्रामों में हैण्डपंपों पर सोलर पंप स्थापना, उच्चस्तरीय टंकी तथा पाईप लाईन बिछाकर ग्रामीण जनों को निजी नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय सुनिश्चित किया गया है।

- **in'k dh xkeh.k clkgVk e LFkkfir g.Mii ,o uyty ink; ;ktuk,%&**

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में स्थापित हैंडपंपों व क्रियान्वित की गई नलजल योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :–

- **LFkkfir gSMiik dh fLFkfr %&**

Øekd	fooj.k	l[;k
1.	dy LFkkfir 'kkldh; gSMiEi	5]23]247
2.	चालू हैंडपम्प	5,14,851
3.	कुल बन्द हैण्डपम्प	8396
3.1	जलस्तर कम होने से बन्द हैण्डपम्प	3509
3.2	असुधार योग्य (भरे–पटे आदि)	0
3.3	साधारण खराबी से बन्द (सुधार योग्य)	4887

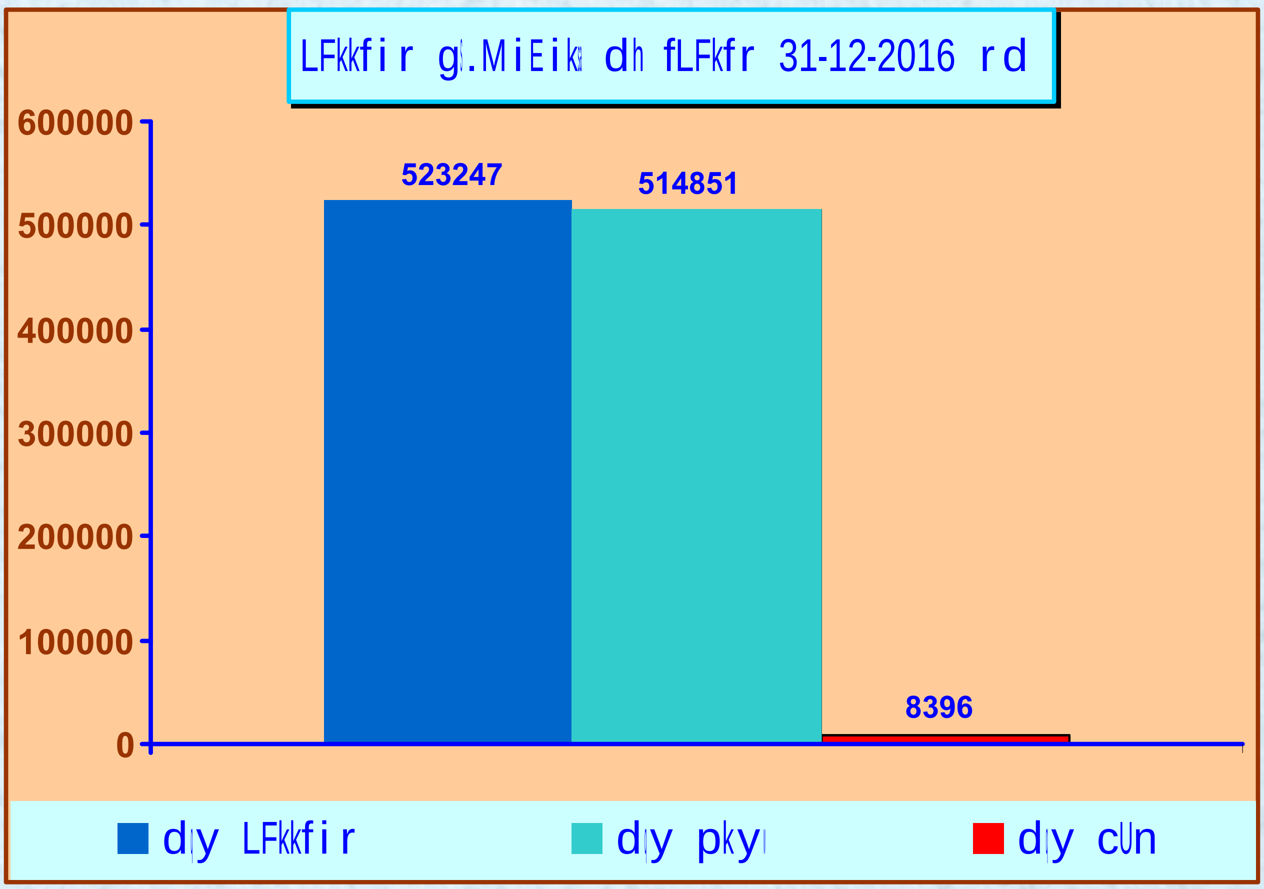

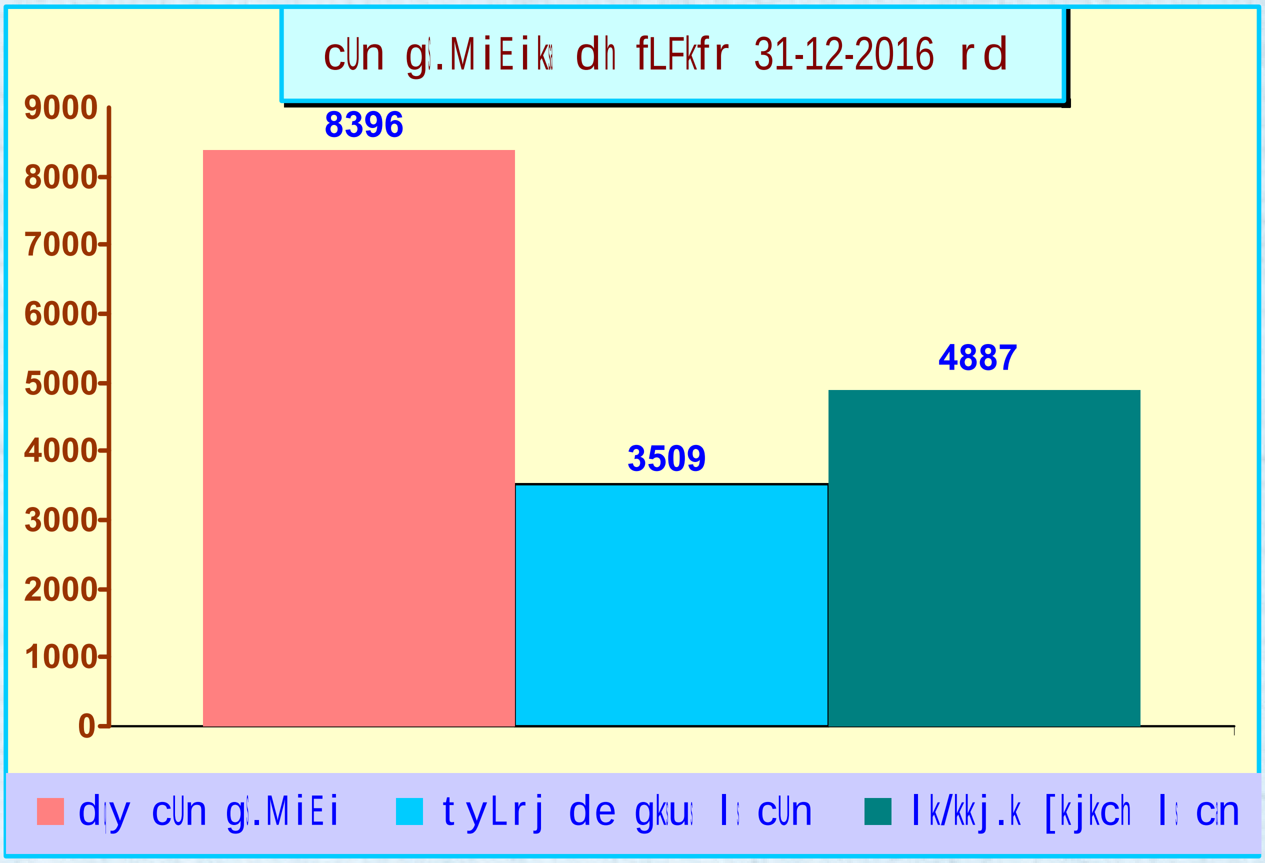

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैण्डपंपों का संधारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। साधारण खराबी के कारण बन्द हैण्डपम्प निरंतर सुधार प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमित रूप से सुधारे जाते हैं, विभाग द्वारा कुछ विकासखण्डों में निजी संस्थाओं को आउट सोर्स कर एवं शेष विभागीय मैकेनिकों के माध्यम से संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जिसके लिए सभी जिलों में हैण्डपंप मैकेनिक पदस्थ हैं। संधारण कार्यों के अंतर्गत ही सामान्य रख–रखाव के साथ साथ जल स्तर नीचे जाने पर हैण्डपंपों में राइजर पाइप में वृद्धि के कार्य, संभव होने पर भरे–पटे नलकूपों को साफ कर उन्हें पुनः पेयजल हेतु उपयोगी बनाने के कार्य, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग व हैण्डपंपों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म निर्माण आदि के कार्य भी विभाग द्वारा कराये जाते हैं।

- **LFkkfir uyty@LFkytty iznk; ;kstukvksa dh fLFkfr %&**

प्रदेश में 31.12.2016 की स्थिति में, ग्रामीण क्षेत्र में कुल 15270 ग्रामीण नलजल/ स्थलजल प्रदाय योजनाएं संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

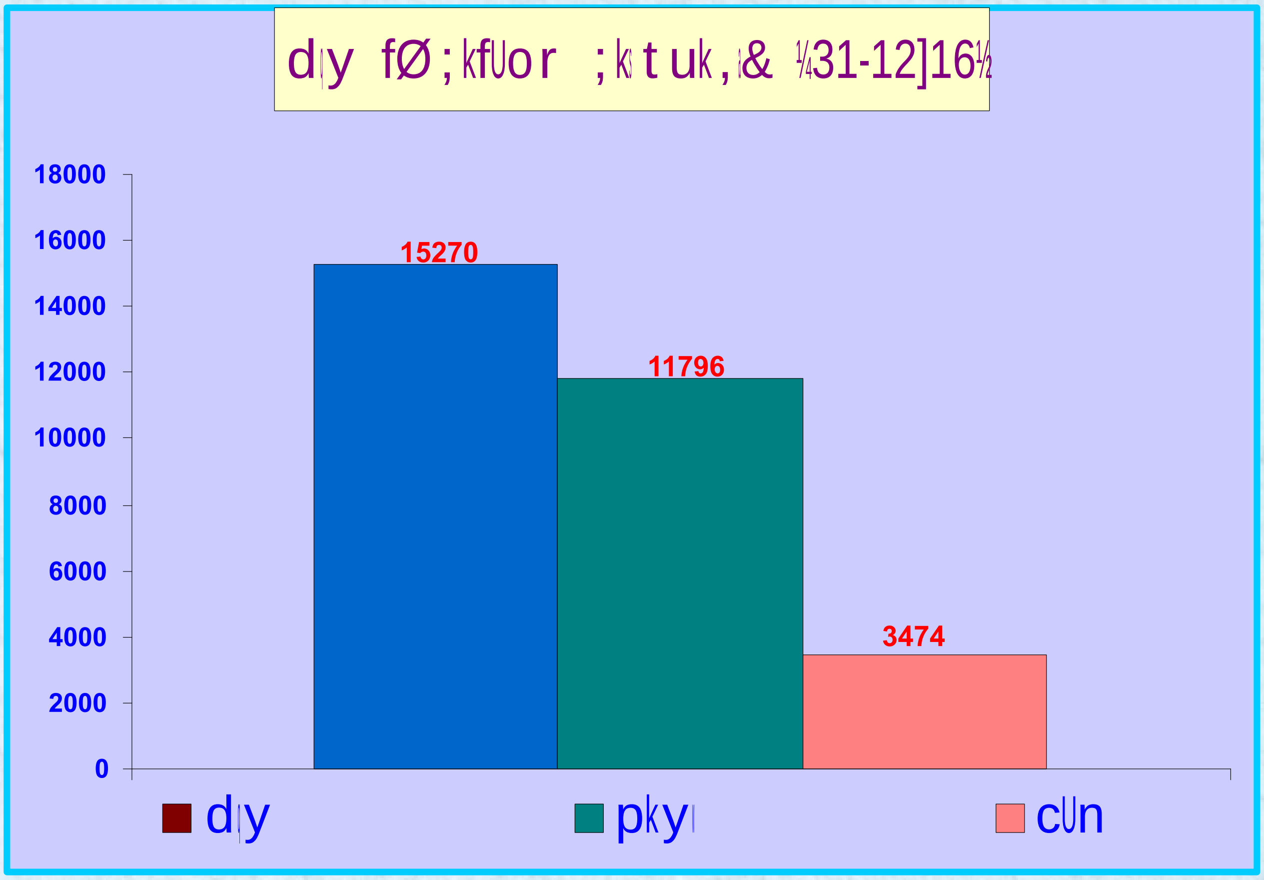
d|y fØ;kfUor ;ktuk,& ¼31-12]16½
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
15270
11796
3474
d|y
pky
cUn

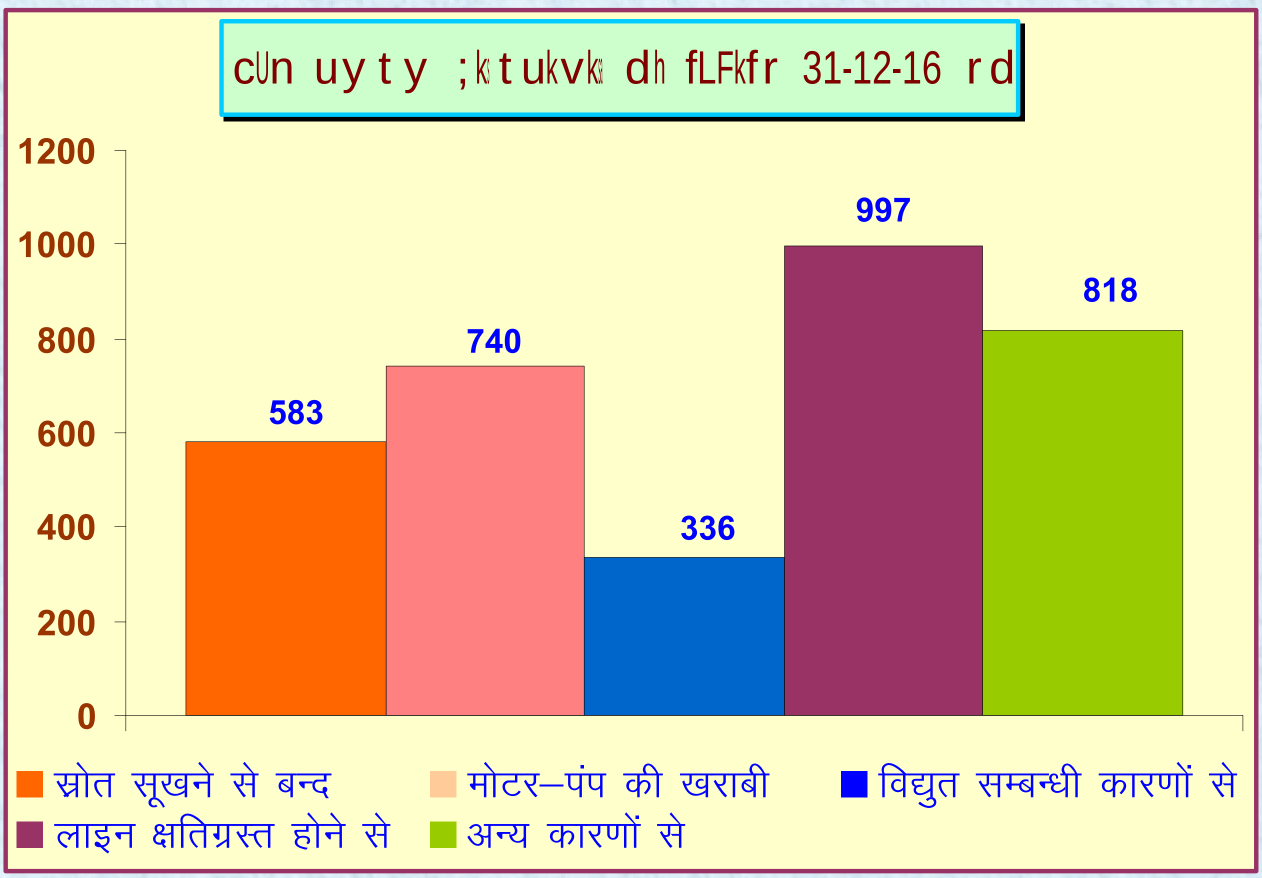
cUn uy ty ;kstukvksa dh fLFkfr 31-12-16 rd
1200
1000
800
600
400
200
0
583
740
336
997
818
स्रोत सूखने से बन्द
मोटर–पंप की खराबी
विद्युत सम्बन्धी कारणों से
लाइन क्षतिग्रस्त होने से
अन्य कारणों से

3-6 is; ty 0;oLFkk dh fuxjkuh %&

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने हेतु स्थापित हैण्डपंपों का सतत् भौतिक निरीक्षण कराया जाता है। हैण्डपंप संधारण कार्य को लोक सेवा प्रदाय गारन्टी अधिनियम–2005, के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्रोतों के जल का परीक्षण कर उनके जल की गुणवत्ता का भी सतत् अनुश्रवण किया जाता है।

3-7 xq.koRrk iHkkfor is; ty L=ksrks okyh clkgVks dh ;kstukvks dk fooj.k%&

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लोराइड, खारापानी व लौह तत्व आदि जल गुणवत्ता समस्या से प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिका के दिशा निर्देशों के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु योजना लागत की 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।

दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में शेष 273 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से कुल 120 बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है एवं शेष 153 बसाहटों में कार्य प्रगति पर हैं, इनमें से फ्लोराइड से प्रभावित 109 बसाहटों में 31 मार्च 2017 तक वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

lkIn vkn'k xke ipk;r fc[kjku dk xke xqy>jh] fodkl [k.M /kjeiqjh] ftyk /kkj es lkyjiai vk/kkfjr uyty ink; ;kstuk dk fØ;kUo;u

3-7-1 ¶ykjkfll fu;=.k %&

पेयजल में 1.5 मि.ग्रा./लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फ्लोराइड प्रदूषित पेयजल के निरंतर सेवन से फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है, जिसका प्रारंभिक अवस्था में बचाव किया जा सकता है। अब तक प्रदेश की कुल 1.27 लाख बसाहटों में से प्रदेश के 27 जिलों की 6746 बसाहटों के 11460 स्त्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानदण्ड से अधिक पाई गई थी। दिनांक 31.3.15 तक फ्लोराइड प्रभावित ऐसी 6371 बसाहटों में पेयजल के सुरक्षित स्रोत भी उपलब्ध करा दिये गये हैं, दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में पाँच जिलों की शेष 228 बसाहटों में से 119 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है तथा शेष 109 बसाहटों में इसी वित्तीय वर्ष में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

xkeh.k is;ty dk;Øe ds vUrxZr xke nfgoj] fodkl[k.M /kjeiqjh] ftyk /kkj esa byDVªkfyfVd fM¶yksjhMs'ku la;= dh LFkkiuk

xkeh.k is;ty dk;Øe ds vUrxZr ¶ykjkbM izHkkfor xke lsjk] fodkl[k.M lsykuk] ftyk jryke esa byDVªkfyfVd fM¶yksjhMs'ku ¼bZ-Mh-,Q-½ la;= dh LFkkiuk dj ¶ykjkbM eqDr 'kq) is;ty iznk; O;oLFkk

xkeh.k i;ty dk;Øe dk vUrxZr ¶ykjkbM iHkkfor xke lqjk] fodkl [k.M lSykuk] ftyk jryke e bykDVªkfyfVd fM¶ykjhMs'ku ¼bZ-Mh-,Q-½ l;= dh LFkkiuk dj ¶ykjkbM eqDr 'kq) i;ty inkk; 0;oLFkk

3-7-2 [kkjs iu dk fu;=.k dh ;ktuk,i %&

पेयजल में कुल घुलित लवणों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर (कोई अन्य स्रोत न होने की दशा में) है। पेयजल में उपरोक्त मात्रा से अधिक लवण होने पर पानी खारा हो जाता है।

प्रदेश के 15 जिलों के 799 ग्रामों के 1889 भू–जल स्त्रोतों में खारेपन की समस्या पायी गयी थी, दिनांक 31.3.2016 तक इन बसाहटों में से 787 ग्रामों/बसाहटों में पेयजल के वैकल्पिक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराये गये हैं। दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में दो जिलों भिण्ड एवं डिण्डोरी की खारे पानी से प्रभावित शेष 12 ग्रामों/बसाहटों में भी आवश्यकतानुसार योजनाएं बनाई जाकर क्रियान्वित की जा रही हैं, कार्य निरंतरित हैं।

3-7-3 ykg rRo dh vf/kdrk dk fujkdj.k %&

पेयजल में लौहतत्व की अधिकता होने से पानी लाल–भूरा हो जाता है एवं रंग के कारण अस्वीकार्य हो जाता है। पेयजल में लौहतत्व की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 0.3 मिली ग्राम प्रतिलीटर है। प्रदेश के 12 जिलों की 596 बसाहटों के 884 स्रोत लौह तत्व की अधिकता से प्रभावित पाए गए थे इन अधिकांश बसाहटों में वैकल्पिक जल प्रदाय के सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराये गये हैं एवं जहॉ सुरक्षित जलप्रदाय की मात्रा मानदंडों से कम है, वहां लौह तत्व प्रभावित जल स्रोतों पर लौह निष्कर्षण संयंत्र स्थापित कर शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है। दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में दो जिलों की 32 बसाहटों में कार्य क्रियान्वित किये जा रहे।

3-8 Hkw ty lo/kZu ,oa iquHkZj.k dk;Øe %&

प्रदेश में अधोसंरचना एवं भवन निर्माण के क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ते हुये शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा कृषि कार्य हेतु भूजल के अत्यधिक उपयोग में वृद्धि के फलस्वरूप उपलब्ध जल भंडारों

का अत्यधिक दोहन हो रहा है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में असामान्य एवं असंतुलित वर्षा, भूजल पर निरंतर बढ़ती निर्भरता के कारण भू–जल स्तर में निरंतर गिरावट हुई है। भूजल के निरंतर दोहन से जल गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। प्रदेश के मालवा–निमाड़ क्षेत्र तथा ग्वालियर–चंबल, रीवा तथा सागर संभागों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के भूजल स्तर में सतत् गिरावट परिलक्षित हुई है। भूजल स्तर में गिरावट के कारण जहां पूर्व में कुंओं से निरंतर पेयजल उपलब्ध हो जाता था, वहीं आज गहरे नलकूपों का खनन आवश्यक हो गया है।

3.8.1 केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2010–11 में किये गये ऑकलन के अनुसार प्रदेश के 33 जिलों के 24 विकास खंड अतिदोहित (Over-exploited), 4 विकासखण्ड दोहित (Critical) एवं 67 विकास खण्ड अर्द्धदोहित (Semicritical) श्रेणी में हैं। इन विकास खंडों में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुये इसका संरक्षण एवं संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है। विभाग द्वारा इन विकास खंडों में भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण का कार्य किया जा रहा है। विकासखण्डों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

ftyk	fodkl [k.Mksa dk uke					
	Ø-	vfrnksfgr	Ø-	nksfgr Js.kh	Ø-	v)Znksfgr Js.kh
बड़वानी	1	पानसेमल			1 2	राजपुर ठीकरी
धार	2 3 4 5	बदनावर धार धरमपुरी नालछा			3 4	मनावर तिरला
इंदौर	6 7 8	इंदौर सांवेर देपालपुर			5	महूँ
मंदसौर	9 10	मंदसौर सीतामऊ			6 7	मल्हारगढ़ भानपुरा
रतलाम	11 12 13 14	जावरा पिपलोदा रतलाम आलोट			8	सैलाना
शाजापुर	15 16	मोमन बड़ोदिया शुजालपुर			9 10	कालापीपल शाजापुर
उज्जैन	17 18 19	उज्जैन बड़नगर घटिया			11 12	महिदपुर खाचरौद
देवास	20 21	देवास सोनकच्छ			13	खातेगांव
आगर	22 23	नलखेड़ा सुसनेर	1	आगर	14	बड़ोद
सतना	24	रामपुर बघेलान	2 3	अमरपाटन सोहावल	15 16	नागौद मैहर

ftyk	fodkl [k.Mk dk uke					
	Ø-	vfrnkfgr	Ø-	nkfgr Js.kh	Ø-	v)Znkfgr Js.kh
नरसिंहपुर			4	नरसिंहपुर	17	गोटेगांव
					18	करेली
					19	चॉवरपाठा
भोपाल					20	फंदा
					21	बैरसिया
बैतूल					22	बैतूल
बुरहानपुर					23	बुरहानपुर
छिन्दवाड़ा					24	छिंदवाड़ा
छतरपुर					25	छतरपुर
					26	राजनगर
					27	नौगांव
					28	बक्सवाहा
					29	बड़ा मलहरा
खरगौन					30	खरगौन
					31	महेश्वर
					32	बड़वाहा
खंडवा					33	छेगॉव माखन
नीमच					34	जावद
					35	नीमच
रीवा					36	गंगेव
					37	सिरमौर
सीधी					38	सीधी
सीहोर					39	सीहोर
					40	आष्टा
जबलपुर					41	शहपुरा
राजगढ़					42	नरसिंहगढ़
					43	खिलचीपुर
					44	सारंगपुर
					45	ब्यावरा
ग्वालियर					46	मुरार
शिवपुरी					47	खनियाढाना
					48	करेरा
					49	नरवर
					50	बदरवास
					51	पिछौर
दतिया					52	दतिया
गुना					53	गुना
मुरैना					54	मुरैना
					55	कैलारस
					56	सबलगढ़
पन्ना					57	अजयगढ़

ftyk	fodkl [k.M dk uke					
	Ø-	vfrnksfgr	Ø-	nksfgr Js.kh	Ø-	v)Znksfgr Js.kh
टीकमगढ़					58	बल्देवगढ़
					59	निवाड़ी
					60	टीकमगढ़
					61	पलेरा
					62	जतारा
सागर					63	बंडा
					64	सागर
					65	रेहली
दमोह					66	पथरिया
					67	हटा

3-8-2 वर्ष 2013–14 में भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण हेतु शासन द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति से तैयार की गई भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण योजनाओं को स्वीकृत करने के लिये प्राथमिकता का निर्धारण जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जिसके अध्यक्ष जिले के कलेक्टर हैं, के द्वारा किया जाता है और स्वीकृति पश्चात् योजनाओं का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है।

fufeZr fjpktZ lkQ~V & xkWe Hkkojh ujoj tyx<.k {ks=] mTtSu ¼o"kkZ dky ds iwoZ½

fufer fjpktZ lkQV & xke Hkkojh ujoj ty xzg.k {ks=] mTtSu ¼o"kkZ dky ds mijkUr½

3-8-3 अतिदोहित विकास खंडों में राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न कृषि–जलवायु एवं सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर पश्चिमी मध्यप्रदेश में स्थित अतिदोहित विकास खंड पिपलोदा जिला रतलाम तथा पूर्वी मध्यप्रदेश में स्थित अतिदोहित विकासखंड रामपुर बघेलान जिला सतना में जल सुरक्षा एवं भूजल संवर्धन कार्य को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का कार्य प्रगति पर है। इस परियेाजना के अंतर्गत ग्रामवासियों की सहभागिता से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप भूजल संवर्धन संरचनाएं प्रस्तावित कर विभिन्न विभागों के समन्वय से क्रियान्वित की जा रही हैं।

3-8-4 अतिदोहित विकासखंडों में सस्टेनेबिलिटी योजना प्रारंभ करने की भारत सरकार, के जल संसाधन मंत्रालय, की योजना के अंतर्गत विकासखंड उज्जैन जिला उज्जैन, में नरवर माइक्रोवाटरशेड तथा विकासखंड धार जिला धार में जैतपुरा माइक्रोवाटरशेड में कार्य प्रगतिपर है। उक्त कार्य केन्द्रीय भूजल बोर्ड के तकनीकी सहयोग से किये जा रहे हैं।

3-8-5 प्रदेश में भूजल स्तर में गिरावट को रोकने एवं भूजल स्त्रोतों पर बढ़ते हुए दवाब को कम करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस विषय को दृष्टि पत्र–2018 में भी सम्मिलित किया गया है। भूजल स्तर में गिरावट रोकने के लिये निम्नांकित एकीकृत कदम उठाये जाने की आवश्यकता है:–

1 सतही जल के संरक्षण एवं भूजल के संवर्धन तथा प्रबंधन हेतु एकीकृत ठोस कार्यवाही।

2 सतही जल तथा भूजल के भंडारण, संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं मिले जुले उपयोग हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त एकीकृत योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर कार्य किये जा रहे हैं।

Hkkty lo/kZu dk;ZØe ds vUrxZr xzkek esa uydwiksa ds iquHkZj.k gsrq fufeZr fjpktZ lkW¶V& fodkl [k.M x/kokuh] ftyk /kkj

3 सतही एवं भू–जल स्रोतों के उचित उपयोग हेतु जल की उपयोगिता का प्राथमिकताक्रम निर्धारित करने हेतु जलनीति तैयार की जाना आवश्यक है।

3-9 foHkkxh; uydwi [kuu e'khuksa dk fooj.k%&

ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूपों का खनन, विभागीय रूप से विभागीय रिगों द्वारा सम्पादित किया जाता है। बड़े ग्रामों की नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी स्रोत नलकूपों के खनन के कार्य विभागीय रिगों द्वारा किए जाते हैं। विभागीय मशीनों की क्षमतानुसार वर्ष में लगभग 10,000 नलकूप खनित किये जा सकते हैं। वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर 2016 तक कुल 4845 नलकूपों का खनन एवं 684 कम आवक क्षमता वाले नलकूपों के पुनर्जीवीकरण का कार्य भी विभागीय हाईड्रोफेक्चरिंग इकाइयों का उपयोग कर किया गया है। विभागीय रिग मशीनों से कुल 2633 नलकूपों की सफाई का कार्य भी किया गया है। विभाग में उपलब्ध यील्ड टेस्ट इकाइयों के द्वारा नलजल योजना हेतु 56 नलकूपों का यील्ड टेस्ट भी किया गया है।

नलकूप खनन हेतु विभाग में कुल 102 विभागीय खनन मशीनें उपलब्ध है, जिनमें 90 डी.टी.एच. रिग, 8 रोटरी रिग तथा 4 काम्बीनेशन मशीनें हैं। जिलों की भू–सरंचना को दृष्टिगत रखते हुए डी.टी.एच. रिग पथरीले इलाके में साधारण नलकूप, रोटरी रिग मशीनें मिट्टी व रेतीले स्ट्रेटा में ग्रैवल पैक नलकूप तथा काम्बीनेशन रिग मिश्रित स्ट्रेटा के क्षेत्र में नलकूप खनन करने के लिए प्रयुक्त होती है। वर्तमान में 5 हाईड्रोफेक्चरिंग मशीनें जल आवक क्षमता बढानें एवं 4 यील्ड टेस्ट यूनिट जल आवक क्षमता परीक्षण के लिए विभाग में उपलब्ध हैं। वर्ष 2015–16 में 04 नवीन काम्बीनेशन मशीनों का क्रय विभाग द्वारा डी.जी.एस.

एंड डी. के माध्यम से किया गया है, जो क्रमशः रायसेन, पन्ना, भिण्ड एवं मण्डला जिले में कार्यरत् हैं। इन मशीनों से काम्बीनेशन (ग्रेवल पैक) रोटरी तथा ऑडेक्स ड्रिलिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक नलकूप खनन की क्षमता है।

- **foHkkxh; fMªfyax e'khuks }kjk foxr o"kks esa fd;s x, dk;ks dh izxfr%&**

o"kZ	[kfur uydwiks dh la[;k	lQy uydwiks dh la[;k
2014–15	9336	8311
2015–16	9902	9034
2016–17 (माह दिसं., 16 तक)	4845	4269

- विभागीय मशीनों से वर्ष 2016–17 में अद्यतन 2633 नलकूपों की सफाई, 684 नलकूपों में हाईड्रोफेक्चरिंग तथा 56 नलकूपों की आवक क्षमता का परीक्षण किया गया।

- वर्ष 2015–16 में शासन द्वारा अनुपयोगी मशीनों एवं संयंत्रों हेतु गठित अपलेखन समिति द्वारा अद्यतन 24 मशीनों का अपलेखन हेतु अनुशंसा की गई है, जिनमें 3 मशीनों का अपलेखन नियमानुसार किया जाकर रुपये 9.12 लाख का राजस्व अर्जित किया गया, शेष मशीनों के अपलेखन की कार्यवाही प्रगतिरत् है।

xzkeh.k is;ty dk;ZØe ds vUrxZr foHkkxh; e'khuksa }kjk vkWMsDl fof/k ls uydwi [kuu& xzke f[krkSyk] fodkl[k.M] tcyiqj

- **flgLFk 2016 esa fd;s x;s dk;Z%&**

  सिंहस्थ 2016 महापर्व कुम्भ के आयोजन में पेयजल व्यवस्था हेतु विभागीय मशीनों की विशेष भूमिका रही है। मैकेनिकल खण्ड उज्जैन, इन्दौर एवं भोपाल के अधीनस्थ विभिन्न मैकेनिकल उपखण्डों की लगभग 27 खनन मशीनों द्वारा कुल 458 नलकूपों का खनन कर उनकी आवक क्षमतानुसार 420 सफल नलकूपों पर सिंगल फेस/3 फेस सबमर्सिबल पम्प्स एवं एवं हैण्डपम्पों की स्थापना कर मेला क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों, पुलिस सेटेलाइट टाउनशिप, पंचक्रोसी यात्रा मार्ग, पुलिस फायर हाइड्रेन्ट हेतु एवं नगर निगम उज्जैन के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार पेयजल उपलब्ध करवाया गया। पुलिस फायर हाइड्रेन्ट का निर्माण कार्य सहायक यंत्री, मैकेनिकल उपखण्ड देवास के सहयोग से सफलता पूर्वक करवाया गया, जिसमें मेला क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र एवं पंचक्रोसी मार्ग के विभिन्न स्थानों पर 16 नग फायर हाइड्रेन्ट निर्मित किये गये।

- **foHkkxh; okguksa dh tkudkjh%&**

  विभाग के मेकेनिकल खण्ड भोपाल के अन्तर्गत वर्ष 1991 के बाद के 18 निरीक्षण वाहन उपलब्ध हैं, जो भोपाल मुख्यालय के अधिकारियों को आवंटित हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में आवश्यकतानुसार निरीक्षण वाहन किराये पर लिये जाते हैं।

2016 egkioZ dqEHk dk vk;kstu esa is;ty O;oLFkk gsrq foHkkxh; e'khuksa ls uydwi [kuu dj is;ty O;oLFkk lqfuf'pr dh xbZ

2016 egkiod dqEHk d vk;kstu e i;ty 0;oLFkk grq foHkkxh; e'khuks ls uydi [kfur dj i;ty 0;oLFkk lqfuf'pr dh xbZ

- foHkkxh; odZ'kki dh tkudkjh%&

विभाग के मेकेनिकल संकाय के अन्तर्गत 03 वर्कशाप उपखण्ड विभागीय मशीनों के सुधार कार्य हेतु कार्यरत थे, शासन के निर्देशानुसार भण्डार खण्ड भोपाल के अन्तर्गत भोपाल में कार्यरत वर्कशाप उपखण्ड, भण्डार उपखण्ड क्रमांक –1 एवं भण्डार उपखण्ड क्रमांक–2 को नर्मदा परियोजना खण्ड भोपाल, मेकेनिकल खण्ड ग्वालियर के अन्तर्गत ग्वालियर में कार्यरत वर्कशाप उपखण्ड को दतिया तथा मेकेनिकल खण्ड जबलपुर के अन्तर्गत जबलपुर में कार्यरत वर्कशाप उपखण्ड को सिंगरौली जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में कोई भी विभागीय वर्कशाप क्रियाशील नहीं है।

विभाग के मैकेनिकल संकाय के अन्तर्गत स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की, दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में जानकारी :–

Ø-	inuke	LohÑr in	Hkjs in	fjDr in
1	मुख्य अभियंता	01	0	01
2	अधीक्षण यंत्री	05	03	02
3	कार्यपालन यंत्री	11	09	02
4	सहायक यंत्री	62	26	36
5	उपयंत्री	263	130	133

3-10 i`f'k{k.k dk;Øe %&

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रणालियों के सफल रूपांकन, कार्यान्वयन, परिचालन एवं रख रखाव के लिये अद्यतन प्रचलित तकनीकों में दक्ष अधिकारियों/ कर्मचारियों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः विभाग के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को जल आपूर्ति तथा सफाई–व्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्धित तकनीकों तथा प्रबंधन दक्षता प्राप्त होना तथा समय–समय पर इसे अद्यतन करना और जलप्रदाय व स्वच्छता के क्षेत्र में हुए नवीनतम अनुसंधान एवं विकास से अवगत कराना आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2015–16 में कुल 509 एवं वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक कुल– 162 अधिकारियों/कर्मचारियों को नामांकित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक आयोजित प्रशिक्षण :–

lLFkk dk uke	o"kZ 2015&16		o"kZ 2016&17		dqy	
	i`f'k{k.k l[;k	i`f'k{kq	i`f'k{k.k l[;k	i`f'k{kq	i`f'k{k.k l[;k	i`f'k{kq
1	2	3	4	5	6	7
सी.पी.एच.ई.ई.ओ.नई दिल्ली	1	7	–	–	1	7
प्रशासन अकादमी भोपाल	6	180	2	60	8	240
इंजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया	–	–	4	41	4	41
एम.पी.टी.ए.एस.टी. भोपाल	7	265	–	–	7	265
इण्डिया वाटर फाउन्डेशन नई दिल्ली	1	52	–	–	1	52
आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल	1	5	–	–	1	5
पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ भोपाल	–	–	1	8	1	8
केन्द्रीय भूजल बोर्ड रायपुर	–	–	4	8	4	8
एम.ए.पी.आई.टी. भोपाल	–	–	5	20	5	20
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भोपाल	–	–	5	25	5	25

उपरोक्तानुसार प्रशिक्षणों में मुख्यतः निम्न विषयों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, जल प्रदूषण, पर्यावरण सुरक्षा एवं पेयजल परिरक्षण अधिनियम।
2. महालेखाकार का प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति में विभागीय साक्ष्य संबंधी प्रशिक्षण।
3. पंपिंग व्यवस्था का रूपांकन तथा ग्रेविटी पाइपलाइन का रूपांकन एवं सर्ज ऑकलन।
4. ग्रामीण नलजल योजनाओं का गुणवत्ता नियंत्रण एवं सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन।
5. एकीकृत पेयजल प्रबन्धन व्यवस्था एवं जल तथा ऊर्जा लेखा परीक्षा।
6. निविदा प्रक्रिया, ई–क्रय व्यवस्था एवं परियोजना प्रबन्धन।
7. परियोजना प्रबन्धन।

3-11 foHkkxh; dEI;wVjhdj.k%&

ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय से उपखंड स्तर तक के सभी कार्यालयों हेतु विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकरण की योजना की स्वीकृति राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अन्र्तगत प्राप्त केन्द्रीय सहायता से की गयी थी। विभाग की गतिविधियों, योजना, कार्यक्रमों से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण हेतु कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर को विकसित किया गया है। साफ्टवेयर में जिलास्तर से प्रत्येक माह जानकारी भरी जाती है, एवं विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है। विभाग की आवश्यकतानुसार इस साफ्टवेयर में समय समय पर नवीन माडयूल का समावेश तथा पुराने माड्यूल को अद्यतन किया जाता है। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भी पेयजल योजनाओं की समीक्षा हेतु ऑन लाईन साफ्टवेयर का विकास किया गया है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से विभाग की समस्त योजनाओं की विस्तृत प्रगति/स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयरों जैसे– परख, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, समाधान ऑनलाईन एवं लोक सेवा गारंटी इत्यादि में भी जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इन समस्त सॉफ्टवेयर्स का उपयोग विभाग के कार्यालयों में उपलब्ध कम्प्यूटर हार्डवेयर के उपयोग से किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित नवीन एप्लीकेशन साफ्टवेयरों का विभाग में समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभाग के विभिन्न कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर हार्डवेयर को समय–समय पर अद्यतन तथा नये कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय किया जाता है।

विभागीय कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग के कार्यालयों में निम्नानुसार कम्प्यूटर/हार्डवेयर आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है :–

- ### ieq[k vfHk;ark dk;kZy;

प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रमुख अभियंता, प्रमुख अभियंता (सलाहकार), संचालक, जल सहायता संगठन एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कक्षों में कम्प्यूटर तथा प्रिंटर स्थापित किये गये हैं। इनका उपयोग प्रदेश स्तरीय आंकड़ों के संग्रहण, विभागीय कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर, भारत सरकार, राज्य शासन के विभिन्न ऑन लाईन साफ्टवेयर, ई–मेल से जानकारी के सम्प्रेषण एवं सामान्य पत्राचार के लिये आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में सभी कम्प्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क एवं इन्टरनेट से जोड़े गये हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार एन.आई.सी. एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से साफ्टवेयर विकास का कार्य भी किया जा रहा है। विभाग में बजट आवंटन तथा व्यय के लेखा जोखा का संधारण भी वित्त विभाग के ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

- ### ifj{ks= dk;kZy;

विभाग के विभिन्न परिक्षेत्र कार्यालयों में लेपटॉप, डेस्कटॉप कम्प्यूटर आवश्यक साफ्टवेयर के साथ, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एवं डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। समस्त परिक्षेत्र कार्यालयों में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त आवश्यक यू.पी.एस. इत्यादि भी स्थापित किये गये हैं। परिक्षेत्र कार्यालयों द्वारा उनके अधीनस्थ मंडल तथा खंड कार्यालयों की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा उक्त कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा विभिन्न विभागीय साफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है।

- ### eaMy dk;kZy;

विभाग के अंतर्गत मंडल कार्यालयों को भी आवश्यक साफ्टवेयर के साथ, इन्टरनेट कनेक्शन सहित

कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. एवं सी.वी.टी. उपलब्ध कराये गये हैं। मंडल कार्यालय भी विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा इन संसाधनों के माध्यम से कर रहे हैं ।

- ## [k.M dk;kZy;

कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत जिला स्तर के प्रत्येक खण्ड कार्यालयों को भी इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिटंर के साथ–साथ यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रयोग शालाओं हेतु भी एक–एक कम्प्यूटर आवश्यक साफ्टवेयर के साथ उपलब्ध कराये गये हैं। खंड कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के यथोचित संसाधनों की उपलब्धता के कारण विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयर का उपयोग आवंटन एवं व्यय का लेखा जोखा रखना, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्टिंग इत्यादि सरल एवं सहज हो गई है। इन्टरनेट, व्ही.पी.एन. इत्यादि सुविधाओं के कारण वित्त से संबंधित समस्त कार्य ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

- ## mi[k.M dk;kZy;

विभाग के विकास खण्ड स्तर पर स्थित उपखण्ड कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में लागू लोक सेवा गांरटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन की वेबसाइट पर आम नागरिक से प्राप्त आवेदनों की डाटा एन्ट्री करने तथा सेवा उपलब्ध करवाने की स्थिति की समीक्षा हेतु एक नग कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. इन्टरनेट कनेक्टीविटी के साथ पृथक से उपलब्ध करवाया गया है। विभाग के उपखंड स्तर के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया गया है।

- ## jkT; vuqla/kku iz;ksx'kkyk

राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल को भी कम्प्यूटर, यू.पी.एस. व प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से पेयजल स्रोतों के जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला को राज्य संदर्भ संस्थान बनाया गया है। जल गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न परीक्षणों के ऑकड़ों के संधारण हेतु भी कम्प्यूटर का उपयोग किया जा रहा है।

- ## lwpuk izkS|ksfxdh lalk/kuksa dk v|ruhdj.k

विभाग द्वारा पूर्व में विकसित विभिन्न कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर तथा उपलब्ध हार्डवेयर, नेटवर्क इत्यादि को विभाग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है एवं तद्नुसार अद्यतन करने की कार्यवाही समय–समय पर की जाती है। नवीन प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर का क्रय भी आवश्यकतानुसार किया गया है।

- ## foHkkxh; dEI;wVj izf'k{k.k dk;ZØe

विभाग द्वारा विगत वर्षो में प्रमुख अभियंता कार्यालय, परिक्षेत्र कार्यालयों एवं जिला स्तर के खंड कार्यालयों एवं उपखंड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी प्रशिक्षणों के माध्यम से दी गई है। भारत सरकार तथा प्रदेश के विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयर में डाटा एन्ट्री करने तथा इनका उपयोग कर कार्य की समीक्षा करने हेतु भी, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार से सहायक गतिविधियों के अंतर्गत प्राप्त राशि से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किये गये हैं।

- **b&V.Mfjx ifØ;k**

शासन के निर्देशानुसार विभाग में समस्त निविदाओं का आमंत्रण तथा निष्पादन ई—टेण्डरिंग के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग में केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण एवं निष्पादन प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया है। जिसमें रूपये 40.00 लाख तक लागत वाली निविदायें संबंधित परिक्षेत्र कार्यालयों के माध्यम से तथा रूपये 40.00 लाख से अधिक लागत की निविदायें प्रमुख अभियंता कार्यालय में गठित प्रोक्योरमेन्ट सैल के माध्यम से आमंत्रित एवं निष्पादित की जा रही है। इस हेतु विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में ई—टेण्डरिंग प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने हेतु अनुबंधित फर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

- **foHkkxh; oscl kbV**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाइट (www.mpphed.gov.in) पर निम्न महत्वपूर्ण जानकारियॉ भी उपलब्ध कराई गई हैं।

- विभाग के उद्देश्य, दायित्व, संरचना व योजनाओं की जानकारी।
- विभागीय कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी।
- सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी एवं विभिन्न प्रपत्र एवं मैन्युअल ।
- विभाग द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं एवं पेयजल नमूनों के परीक्षण शुल्क की जानकारी ।
- तकनीकी व अन्य परिपत्र/निर्देश, विभिन्न स्तर के तकनीकी एवं वित्तीय अधिकार, आई.एस. कोड की सूची, विभागीय कार्यालयों के दूरभाष, आदि का विवरण।
- अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची।
- विभाग द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं की जानकारी ।
- विभागीय फोरम।
- विभागीय उत्कृष्ट कार्यो के वीडियो, आडियो, छायाचित्र, सफलता की कहानियाँ, प्रचार—प्रसार सामग्री।
- अधीनस्थ कार्यालयों से पत्राचार की व्यवस्था वेबसाईट के माध्यम से की गई है जिससे अनावश्यक स्टेशनरी एवं डाक व्यय की बचत के साथ समय की भी बचत हो।
- विभिन्न कार्यालयों द्वारा की जा रही गतिविधियों की दक्षता का विवरण।
- विभाग में लागू दर—अनुसूचियॉ (SOR)

3-12 uxjh; i;ty dk;Øe %&

3-12-1 dk;Øe vkj miyfCèk;k %&

सामान्यतः प्रदेश की नगरीय योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन/संधारण नगरीय निकायों द्वारा किया जाता है। प्रदेश की केवल 2 जल प्रदाय योजनाओं क्रमशः सीधी एवं झाबुआ को छोडकर शेष सभी नगरीय योजनाऐं संबंधित नगरीय निकायों द्वारा संचालित— संधारित की जा रही हैं ।

3-12-2 lkekU; uxjh; tyinkk; ;kstuk dk;Øe %&

नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत छिन्दवाड़ा शहर की पेंचव्हेली समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त योजना के स्रोत मंधान बॉध का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा योजनान्तर्गत स्वीकृत शेष सभी अवयव पूर्ण किये जा चुके हैं।

3-12-3 uxjh; ey ty fudkl ;kstuk,¡%&

ग्वालियर नगर की मल जल निकास योजना, पुनरीक्षित लागत रूपये 58.50 करोड़ के लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गये है तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं।

3-12-4 fu{ksi en esa foHkkx }kjk fØ;kfUor uxjh; ;kstuk,¡%&

सागर जिले के खुरई नगर एवं औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां की जल प्रदाय योजनायें निक्षेप मद में क्रमशः रुपये 3138.00 लाख एवं रुपये 1035.00 लाख की लागत से विभाग द्वारा क्रियान्वित की गयी हैं, जिसमें से खुरई नगर की जल प्रदाय योजना निश्चित समयावधि में पूर्ण कर दी गई एवं औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां की योजना का कार्य प्रगति पर है ।

3-12-5 jk"Vªh; unh@>hy laj{k.k ;kstuk dk;ZØe%&

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निक्षेप कार्य के रूप में विभाग द्वारा 2 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनकी कुल लागत राशि रूपये 7571.00 लाख है, विवरण निम्नानुसार :–

Ø-	;kstuk dk uke	ykxr :i;s yk[k esa
1	शिवपुरी झील संरक्षण योजना जिला शिवपुरी	6951.00
2	चित्रकूट नदी संरक्षण योजना जिला सतना	620.00

रीवा शहर की बीहर नदी संरक्षण (मलजल निकासी) योजना, जो विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही थी, के समस्त प्रगतिरत् कार्य अब नगरीय निकाय रीवा द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत पूर्ण किये जावेंगे।

4- Hkkx & pkj

4-1 lkekU; iz'kklfud fo"k;

4-1-1 U;k;ky;hu izdj.k %&

दिनांक 31.12.2016 तक विभाग से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में दायर प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है:–

Øekad	U;k;ky;	31-12-2016 dh fLFkfr esa izdj.kksa dh la[;k
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	251
2	माननीय उच्च न्यायालय	1539
3	माननीय माध्यस्थम् अभिकरण	01
4	माननीय औद्योगिक न्यायालय	45
5	माननीय दावा अभिकरण	–
6	माननीय जिला न्यायालय	98
7	माननीय श्रम न्यायालय	390
	dqy ;ksx	2324

4-1-2 deZpkjh dY;k.k vfHk;ku %&

isa'ku izdj.k %&

दिनांक 31.12.16 की स्थिति में सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों के पैंशन प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रकरण का विवरण	वर्ष में निरा–करण हेतु शेष पैंशन प्रकरण	yafcr isa'ku izdj.kksa dk oxhZdj.k		
		विभाग के पास लंबित प्रकरणों की संख्या जो संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को भेजे जाना हैं	संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पैंशन को प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या जिनमें अभी तक पी.पी.ओ. जारी नहीं हुए हैं	न्यायालयीन प्रकरण संस्थित होने के कारण लंबित प्रकरण
1.4.97 से 31.12.2016 तक सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारियों के प्रकरण	71	80	35	42
;ksx %	71	80	35	42

दिनांक 1.4.97 से पूर्व सेवानिवृत्त किसी भी अधिकारी / कर्मचारी का पैंशन प्रकरण लंबित नहीं है।

4-1-3 LFkkukUrj.k izdj.k %&

01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि में विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं स्वयं के व्यय पर किये गये अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण का विवरण निम्नानुसार है :–

J.kh	dy LFkkukUrj.k
प्रथम श्रेणी	12
द्वितीय श्रेणी	08
तृतीय श्रेणी	02

4-1-4 foHkkxh; inkUufr;k %&

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका के तहत् पदोन्नतियों पर रोक लगाये जाने के कारण वर्ष 2016 में विभागीय पदोन्नतियॉ नहीं की गई हैं। श्री जे. के. जैन उपयंत्री (सिविल) की सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति दी गई है।

4-1-5 foHkkxh; tkp idj.k %&

दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 की अवधि में लम्बित विभागीय जाँच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:–

प्रथम श्रेणी के 19 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 6 विभागीय जांच प्रकरणों में 6 अधिकारियों पर एवं विभाग स्तर पर संस्थित 13 विभागीय जांच प्रकरणों में 13 अधिकारियों पर विभागीय जांच प्रचलित है)।

द्वितीय श्रेणी के 6 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 1 प्रकरण में 1 अधिकारी पर तथा विभाग स्तर पर संस्थित 5 विभागीय जांच प्रकरणों में 5 अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है)।

तृतीय श्रेणी के 10 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 1 विभागीय जांच प्रकरण में 1 अधिकारी पर एवं विभाग स्तर पर संस्थित 9 विभागीय जॉच प्रकरणों में 14 अधिकारियों पर विभागीय जॉच चल रही है)।

विभाग के 4 कार्यपालन यंत्री, 3 सहायक यंत्री (1 सहायक यंत्री अभियोजन में एवं 2 सहायक यंत्री विभागीय प्रकरण) एवं 8 उपयंत्री (1 उपयंत्री अभियोजन में एवं 7 उपयंत्री विभागीय प्रकरण में) निलम्बित हैं।

4-1-6 fu;fDr;k %&

वर्ष 2016 में 31.12.2016 तक सीधी भर्ती के पदों पर म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा चयनित 209 उपयंत्रियों (सिविल/वि.यां.) के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।

4-2 lpuk dk vf/kdkj %&

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिये विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त हैं :–

Øekd	ykd lpuk vf/kdkjh	lgk;d ykd lpuk vf/kdkjh	iFke vihyh; vf/kdkjh
1. शासन स्तर पर	उप सचिव	अवर सचिव (तकनीकी)	सचिव / प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तर पर	अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)	संयुक्त संचालक (लेखा) (संयुक्त संचालक लेखा उपलब्ध न होने पर प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित कार्यपालन यंत्री)	प्रमुख अभियंता
3.परिक्षेत्र स्तर पर	मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण यंत्री (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित)	लेखा अधिकारी (लेखा अधिकारी पदस्थ न होने पर मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित अधिकारी / कर्मचारी)	संबंधित मुख्य अभियंता
4. मंडल कार्यालय / अधीक्षण यंत्री कार्यालय स्तर पर	अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित सहायक यंत्री	मंडल अधीक्षक (मंडल अधीक्षक उपलब्ध न होने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित कर्मचारी)	मंडल के अधीक्षण यंत्री
5. जिला / खंड कार्यालय स्तर पर	संबंधित खंड के कार्यपालन यंत्री	संभागीय लेखापाल	संबंधित मंडल के अधीक्षण यंत्री
6. उपखंड स्तर पर	सहायक यंत्री	उपयंत्री (मुख्यालय में पदस्थ एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नामांकित)	कार्यपालन यंत्री

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत 01 जनवरी' 2016 से 31 दिसम्बर' 2016 के मध्य कुल 1389 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1302 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, शेष 87 आवेदन निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन हैं, जिनकी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है।

4-3 o"kZ 2016 esa fo/kku lHkk iz'uksa vkfn ls lEcfU/kr dk;ksZa dk fooj.k %&

वर्ष 2016 में विधान सभा सत्रों की अवधि में माननीय विधायकों द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं एवं स्थगन प्रस्तावों से संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

Ø-	fo"k;	fo/kku lHkk l= Qjojh&ekpZ 16		fo/kku lHkk l= tqykbZ 16		fo/kku lHkk l= fnlEcj 16	
		dqy izkIr	mRrj Hkstk x;k	dqy izkIr	mRrj Hkstk x;k	dqy izkIr	mRrj Hkstk x;k
1	विधान सभा प्रश्न	257	257	134	134	68	68
2	शून्यकाल की सूचनाएँ	18	18	2	2	0	0
3	ध्यानाकर्षण सूचनाएँ	4	4	6	6	3	3
4	स्थगन प्रस्ताव	0	0	0	0	0	0

5- Hkkx & ikp
vfHkuo ;kstuk;sa

5-1 cqansy[kaM fodkl fo'ks"k iSdst %&

भारत सरकार द्वारा बुंदेलखंड विकास विशेष पैकेज के प्रथम चरण में रूपये 100.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 6 जिलों क्रमशः सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह एवं दतिया में पेयजल व्यवस्था हेतु वर्ष 2011 में प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत 1287 लघु नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन लक्षित था। माह दिसंबर 2016 तक कुल 89 योजनाओं के कार्य प्रगति पर थे एवं 1198 योजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, इस वित्तीय वर्ष में शेष योजनाओं के कार्य पूर्ण करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

बुंदेलखंड विकास विशेष पैकेज के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा रूपये 252.47 करोड़ की स्वीकृति पेयजल व्यवस्था हेतु दी गई है। उक्त राशि से बुंदेलखंड क्षेत्र के 03 जिलों में 03 समूह नलजल प्रदाय योजनाएं निविदा लागत रूपये 206.86 करोड़ का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बुंदेलखंड क्षेत्र के 108 ग्रामों की 2 लाख 28 हजार से अधिक जनसंख्या घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्राप्त कर सकेगी। उक्त योजनाएं वर्ष 2017–18 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

5-2 izns'k esa 24x7 fnol tyiznk; okyh xzkeh.k uyty ;kstukvksa dh lQyrk dh dgkuh %&

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के अनेकों ग्रामों में 24 घंटे पेयजल प्रदाय योजना प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था से ग्रामवासियों में अपार हर्ष एवं उल्लास है। ग्राम में पेयजल योजना निर्माण के लिए ग्रामवासियों की पहल पर विभाग द्वारा इन योजनाओं में पाईप लाईन बिछाकर एवं पेयजल टंकी का निर्माण कर ग्रामों में शत–प्रतिशत नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय प्रारंभ किया गया है। पेयजल योजना के अन्तर्गत अनेकों ग्रामों में निर्मित पेयजल टंकियों पर एक–एक सेंसर लगाया गया है जो योजना के अन्तर्गत स्थापित विद्युत पंप को स्वतः चालू/बंद कर देता है एवं योजना से पेयजल व्यवस्था स्वचालित एवं निरंतरित रहती है। इस स्वचालित प्रक्रिया से पेयजल की टंकी सदैव भरी रहती है जिससे ग्रामों की पेयजल व्यवस्था 24 घंटे निरंतर चालू रहती है। ग्राम के सभी वाल्व हमेशा चालू रहते हैं जिससे ग्रामवासियों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध रहता है।

24 ?kaVs is;ty iznk; dh fy, fd;s x;s fo'ks"k iz;kl %& ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संबंध में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विभाग के अभियंताओं ने ग्रामवासियों को इस योजना की जानकारी देकर आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया। इन योजनाओं की सफलता की दिशा में ग्रामवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों की उपस्थिति में ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित कर विभाग के अधिकारियों द्वारा योजना क्रियान्वयन की जानकारी दी गई।

ykd LokLF; ;kf=dh foHkkx jryke }kjk 24x7 uy ty ;ktuk Fkhe ij
vk/kkfjr iLrqr >kdh dk n';

ekuuh; eq[;ea=h Jh f'kojkt flag pkSgku }kjk x.kra= fnol ds volj ij
ykd LokLF; ;kf=dh foHkkx jryke }kjk 24x7 uy ty ;ktuk Fkhe ij vk/kkfjr
>kdh dk voykdu dj iqjLdkj inku fd;k x;k

नल कनेक्शन से वंचित परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये हैं। ग्रामों में पेयजल अपव्यय को रोकने के लिए प्रत्येक नल कनेक्शन पर टोंटियां लगवाई गई। योजनाओं के सफल संचालन एवं संधारण के लिये पेयजल उपसमितियों का गठन करवाया गया। पेयजल योजना से प्राप्त आय एवं व्यय को संधारित करने के लिए पेयजल उपसमिति के अध्यक्ष एवं सचिव के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाया गया। योजना के सुचारू व वर्षभर संचालन के लिए पेयजल उपसमिति को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। पेयजल परीक्षण करने हेतु ग्राम वासियों को फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त पेयजल व स्वच्छता का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से ग्राम में स्कूल रैली, समूह बैठक/चौपाल चर्चा सहित जागरुकता के लिए विभिन्न गतिविधियॉं सम्पादित की गईं।

24 ?kVs is; ty inz; ;kstukvksa ls ykHk %& 24 घंटे पेयजल प्रदाय (24x7) से ग्रामों मे खुशहाली का वातावरण निर्मित हो गया। ग्रामवासियों को पेयजल भंडारण करने की एवं पेयजल प्राप्त करने में समय की बाध्यता जो पूर्व में थी वह इन योजनाओं से समाप्त हो गई। सभी नल कनेक्शनों पर टोंटियॉं लग जाने से पेयजल अपव्यय को रोकने में मदद मिली एवं योजनाओं से सभी ग्रामवासियों में जनसहभागिता की भावना विकसित हुई। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य ग्राम जहां ग्रामवासियों/ग्राम पंचायत की इच्छा शक्ति के अभाव में पेयजल योजनाएं बंद/आंशिक चालू रहती हैं उन्हें ऐसे आदर्श ग्रामों से अपने ग्राम की पेयजल योजनाएं सूचारू रूप से संचालित करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे ग्राम जहां पेयजल संकट है तथा जहां नलजल योजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है उन ग्रामों में ऐसी योजना एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में एवं जनभागीदारी की भावना को विकसित करने का कार्य करेगी।

5-3 flagLFk 2016 esa is; ty O;oLFkk gsrq foHkkx }kjk lEikfnr eq[; dk;ksZa dk fooj.k %&

विगत सिंहस्थ 2016 के दौरान विभाग को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं गंदे पानी के निष्पादन का दायित्व विभाग को सौंपा गया था। सिंहस्थ 2016 में मेले के दौरान एकत्रित होने वाले संभावित 5 करोड़ साधु/संतों/धर्मालुजनों हेतु आवश्यक पेयजल की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु, विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनेकों कार्य सफलता पूर्वक अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में सम्पादित किये गये। वर्तमान में 121.45 एम.एल.डी. जलप्रदाय की विद्यमान व्यवस्था के अलावा सिंहस्थ के दौरान 41.00 एम.एल. डी. अतिरिक्त पेयजल की व्यवस्था किया जाना था, इस हेतु प्रस्तावित समस्त कार्यो का निष्पादन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रदेश स्तर के लगभग 500 अधिकारियों/कर्मचारियों के सतत् रूप से पूरे मेले के दौरान अलग–अलग पारियों में पूर्ण निष्ठा एवं मेहनत से कार्यों का सम्पादन कर मेले के आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। सिंहस्थ 2016 मेला क्षेत्र एवं पंचक्रोशी यात्रा में पेयजल एवं गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित की गई।

सिंहस्थ मेला क्षेत्र में जलप्रदाय के लिये हैडवर्क्स के निर्माण, जल वितरण एवं गन्दे पानी के निष्पादन की व्यवस्था। स्थानीय, प्रशासनिक निर्णयानुसार मेला क्षेत्र के अंतर्गत जलप्रदाय एवं गन्दे पानी के निष्पादन की जिम्मेदारी संधारण खण्ड नगर पालिक निगम से लेकर परियोजना खण्ड उज्जैन को सौंपी गई एवं तद्नुसार ही सिंहस्थ की व्यवस्थाएॅं क्रियान्वित की गई। पूर्व सिंहस्थ में जल वितरण एवं गन्दे पानी का निष्पादन संधारण खण्ड (नगर पालिक निगम) उज्जैन द्वारा किया गया था। विभाग द्वारा सम्पादित मुख्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

- xHkhj unh ij bVdoy dk fuekZ.k dk;Z %&

गंभीर नदी स्त्रोत पर 12.0 मीटर व्यास एवं 20.50 मीटर गहराई के आर.सी.सी. इंटेकवैल का निर्माण मय दो फ्लोर के पंप हाऊस का निर्माण किया गया है। इस कार्य की लागत रू. 431.00 लाख है। कार्य मेसर्स जे. व्ही.कटारिया एण्ड कंपनी, वड़ोदरा द्वारा किया गया है।

xEHkhj unh ij 12 eh- O;kl ,oa 20-50 eh- xgjkbZ ds bUVsdoy dk fuekZ.k

- xÅ?kkV ij 6-0 ,e- th-Mh- {kerk ds ty'kks/ku l;a= dk fuekZ.k %&

कार्य की लागत 617.00 लाख है। कार्य मेसर्स एड्राईट एसोसिएट, इन्दौर द्वारा किया गया है। जलशोधन संयंत्र अंतर्गत केस्केड एरिएटर, फ्लेश मिक्सर, फिल्टर्स, क्लेरीफ्लाक्यूलेटर, क्लीअर वाटर सम्प, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, क्लीअर वाटर पम्पस्, पम्प हाऊस व 3 नग 9660 एल.पी.एम. डिस्चार्ज 75 मीटर हैड के सैन्ट्रीफ्यूगल पम्प प्रदाय एवं स्थापना का कार्य सम्मिलित है।

ty'kks/ku l;a= dk fuekZ.k& {kerk 6 ,e-th-Mh-] xÅ?kkV] mTtSu

ty'kks/ku l;a= dk fuekZ.k& {kerk 6 ,e-th-Mh-] xÅ?kkV] mTtSu

- lkfgc[kMh ij 1-75 ,e-th-Mh- {kerk dk ty'kks/ku la;= dk fuekZ.k %&

संयंत्र साहिबखेड़ी जलाशय स्त्रोत पर अधारित है। कार्य मेसर्स निर्माण इंजीनियर्स, छिन्दवाडा द्वारा किया गया है। कार्य की लागत रू. 282.96 लाख है। संयंत्र अंतर्गत विभिन्न अवयवों का निर्माण किया गया है :– केस्केड एरिएटर, क्लेरीफ्लाक्यूलेटर, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, सम्प, पम्प हाऊस व 3 नग 2820 एल.पी.एम. डिस्चार्ज 78 मीटर हैड के सैन्ट्रीफ्यूगल पम्प प्रदाय एवं स्थापना का कार्य सम्मिलित है। संयंत्र की क्षमता 1.75 एम.जी.डी. है।

tyk'kks/ku la;= dk fuekZ.k& {kerk 1-75 ,e-th-Mh-] lkfgc[kMh] mTtSu

tyk'kks/ku la;= dk fuekZ.k& {kerk 1-75 ,e-th-Mh-] lkfgc[kMh] mTtSu

- x<dkfydk efnj {k= e mPp Lrjh; Vdh dk fuek.k %&

  सिंहस्थ 2016 जलप्रदाय व्यवस्था अंतर्गत गढ़कालिका क्षेत्र में 250 कि.ली. 15 मीटर स्टेजिंग की उच्च स्तरीय टंकी का निर्माण मय 50 कि.ली. क्षमता के सम्प का निर्माण किया गया है। कार्य अंतर्गत 150 एम.एम. व्यास की डी.आई. क्लास के–9 पम्पिंग मेन 850 मीटर प्रदाय एवं बिछाना, 2 नग 1042 एल.पी.एम. डिस्चार्ज 25 मीटर हैड के सैन्ट्रीफ्यूगल पम्प प्रदाय एवं स्थापना का कार्य व अन्य कार्य सम्मिलित है। कार्य की लागत रू. 78.80 लाख है।

250 fd-yh- {kerk] 15 ehVj LVftx dh mPp Lrjh; Vdh ,o 50 fd-yh- {kerk d lEi dk fuek.k & x<dkfydk {k=] mTtu

eyk {k= e iLrkfor ty forj.k 0;oLFkk %&

मेला क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जल की मांग, विद्यमान व्यवस्था से उपलब्धता आदि बातों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण मेला क्षेत्र की जलप्रदाय व्यवस्था 10 झोन (टंकिया) क्रमशः उजड़खेड़ा, मुल्लापुरा, चिंतामण, चारधाम, वृंदावनपुरा, गढ़कालिका, इंदिरानगर, आगर रोड, भेरूगढ़ पुराना व भेरूगढ़ नया के माध्यम से प्रस्तावित थी। 10 में से 4 टंकियों का निर्माण सिंहस्थ मद में प्रस्तावित था। इन 10 टंकियो के माध्यम से 165 किमी अस्थायी पाईप लाईन बिछाकर पर्याप्त मात्रा एवं दबाव से जलप्रदाय किया जाना प्रस्तावित था। तदनुसार 350 से 500 मि.मी. व्यास की डी.आई. पाईपलाईन 12 किमी एवं 110 से 315 मि.मी. व्यास की एच.डी.पी.ई. पाईपलाईन 165 किमी लम्बाई में बिछाई गई।

प्लाट्स के अंदर जलप्रदाय की सुनिश्चितता हेतु 8000 नल कनेक्शन का प्रावधान किया गया था एवं पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट व प्याऊ हेतु 1000 नल कनेक्शन का प्रावधान स्वीकृत था। प्रत्येक 200–300 मीटर की दूरी पर आवश्यकतानुसार पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट/प्याऊ कोल्ड वाटर हट हेतु कनेक्शन प्रस्तावित किया गया था किन्तु मांग बढ़ने की स्थिति में लगभग 12000 कनेक्शन्स प्रदान किये गये।

महत्वपूर्ण अखाड़ों एवं अधिक मांग वाले प्लाट्स में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त भण्डारण हेतु 5000/2000 लीटर की 2688 टंकिया स्टैण्ड पर रखी गई। इसी प्रकार उपरोक्त अखाड़ों में अतिरिक्त जल की पूर्ति हेतु 332 नवीन नलकूप खनन कर मोटर पम्प अथवा हैण्डपंप के माध्यम से भी जलप्रदाय किया गया। शहर के एवं मेला क्षेत्र के विद्यमान नलकूपों की सफाई कर उपयोगी बनाकर उनमें भी प्राप्त आवक क्षमता के आधार पर सबमर्सिबल मोटर पम्प अथवा हैण्डपंप स्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त अप्रत्याशित जल की मांग अथवा किसी तरह के ब्रेक डाउन की स्थिति में 5000 लीटर से 20,000 लीटर तक क्षमता के ट्रैक्टर/ट्रक माउण्टेड टैंकर्स के माध्यम से भी आवश्यकतानुसार जलप्रदाय सुनिश्चित किया गया। प्रस्तावित 10 टंकियों के समीप 5000 लीटर के 2 व 20000 लीटर के 2 टेंकर्स हमेशा उपलब्ध रहे, जिन्हें आवश्यकतानुसार झोन अथवा सेक्टर कार्यालय के निर्देशों पर संचालित किया गया।

ty ijh{k.k %&

विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 10 झोन के कार्यक्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन नियमित रूप से 5 सेम्पल, इस प्रकार पूरे मेला क्षेत्र से लगभग कुल 50 सेम्पल प्रतिदिन एकत्रित कर विभागीय प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया। एक मोबाईल परीक्षण प्रयोगशाला भी संचालित की गई जो सतत् रूप से मेला क्षेत्र में भ्रमण करती रही एवं स्थल पर ही जल परीक्षण सम्पादित किया गया। एन.ए.बी.एल. एक्रेडिबल संस्था द्वारा आउटसोर्सिंग कर यह कार्य कराया गया।

xUns ikuh dk fu"iknu %&

प्रस्तावित जलप्रदाय के विरूद्ध लगभग 130 एम.एल.डी. सीवेज उत्पन्न हुआ। (जलप्रदाय मात्रा का लगभग 80 प्रतिशत)। तत्समय शहर में लगभग 56 एम.एल.डी. सीवेज के निष्पादन की व्यवस्था कार्यरत थी, एवं वर्तमान व्यवस्था को 20 प्रतिशत ओवरलोड कर लगभग 11 एम.एल.डी. इस तरह कुल 67 एम.एल.डी. सीवेज का निष्पादन वर्तमान व्यवस्था से किया गया, शेष 63 एम.एल.डी. सीवेज का निष्पादन दो अस्थाई ऑक्सीडेशन पौण्ड एवं तद्उपरांत खान डायवर्शन योजना के माध्यम से कालियादेह उज्जैन शहर के नीचे क्षिप्रा नदी में किया गया। मेला क्षेत्र में सीवेज का एकत्रीकरण सीवर के माध्यम से किया गया। इसमें मुख्यतः किचन, बाथरूम व शौचालयों के सेप्टिक टैंक के इफ्ल्यूऐंट को सम्मिलित किया गया था।

Lkhoj t dk fu"iknu grq iLrkfor dk;l%&

- सीवर के माध्यम से गंदे पानी का एकत्रीकरण।
- एकत्रित गंदे पानी को पम्पिंग मेन एवं पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से एस.टी.पी. तक पम्पिंग करना।
- विद्यमान एस.टी.पी. एवं प्रस्तावित ऑक्सीडेशन पौण्ड के माध्यम से निष्पादन।
- परिवहन के माध्यम से निष्पादन।

सम्पूर्ण मेला क्षेत्र 12 भागों में क्रियान्वयन, संचालन/संधारण, नियंत्रण की दृष्टि से बांटा गया था। 12 झोन में 120 मि.मी. व्यास से 580 मि.मी. व्यास की डी.डब्ल्यू.सी. –एच.डी.पी.ई. पाईप की 254.50 कि.मी. सीवर बिछाने का कार्य किया गया। 30 मीटर पर एक मैनहोल प्रस्तावित किया गया था, जहॉ पर लाईन डाली जाने की आवश्यकता नहीं थी वहां पर सोकेज पिट के माध्यम से निष्पादन किया गया। प्राप्त गंदे पानी को 8 नए सीवेज पम्पिंग स्टेशन व 25 कच्चे सम्प में एकत्रित कर पम्पिंग मेन एवं टैंकर्स के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट में शोधन हेतु भेजा गया। तीन विद्यमान सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट एवं 2 नए ऑक्सीडेशन पौण्ड के माध्यम से गन्दे पानी को उपचारित कर जल संसाधन विभाग की खान डायवर्सन योजना के माध्यम से क्षिप्रा नदी के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा गया।

iapØks'kh ;k=k ekxZ esa i;s ty O;oLFkk%&

सिंहस्थ 2016 मेला अवधि के दौरान पंचक्रोशी यात्रा भी आयोजित हुई। यह यात्रा 5 पड़ाव स्थल पिंगलेश्वर, करोहन, बिलकेश्वर, जेथल व उण्डासा एवं 2 उप पड़ाव नलवा व कालियादेह से होकर 118 कि.मी. लंबाई में 5 दिनों में पूर्ण होती है। यात्रा में लगभग 10 लाख धर्मालुजनों ने लाभ लिया। अधिकतम एक पड़ाव पर 2 लाख धर्मालुजनों की संख्या आंकलित की गई।

flagLFk 2016 ds nkSjku iapØkslh ;k=k esa foHkkx }kjk fd;s x;s i;s ty O;oLFkk dk dk;Z

flagLFk 2016 ds nkSjku iapØkslh ;k=k esa ekuuh; eq[;ea=h th }kjk dh tk jgh iq"i o"kkZ

flagLFk 2016 ds nkSjku iapØkslh ;k=k esa lfEefyr J)kyqtu

Ik; t y 0;oLFkk d: dk;! %&

1.	स्त्रोतों का निर्माण	—	38 नग
2.	पावर पम्प्स	—	143 नग
3.	टंकियों का निर्माण	—	4 नग 100 कि.ली. क्षमता
4.	पाईप लाईन	—	90 से 160 मि.मी. व्यास–42 कि.मी.
5.	स्टैण्ड पोस्ट	—	275 नग
6.	नहाने हेतु शॉवर्स	—	107 नग
7.	एच डी पी ई टंकीयॉ	—	215 नग
8.	आर सी सी सिस्टर्न	—	70 नग
9.	विविध कार्य	—	ट्रक टैंकर्स, जनरेटर सेट, विद्युत कनेक्शन इत्यादि

lMykbV Vkmu e: i:; t y 0;oLFkk %&

उज्जैन शहर को जोड़ने वाले समस्त मार्गों पर अस्थायी विश्राम हेतु 7 सैटेलाईट टाउन प्रस्तावित थे। इन समस्त सेटेलाईट टाउन में विभाग द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गई, साथ ही मेले के ठीक पहले 40 नवीन अस्थाई पुलिस कैम्प प्रस्तावित किये गये थे। इनमें भी विभाग द्वारा समुचित पेयजल व्यवस्था की गई थी।

Ik; t y 0;oLFkk d: dk;!

1.	स्त्रोतों का निर्माण	—	59 नग
2.	पावर पम्प्स	—	34 नग
4.	पाईप लाईन	—	90 मि.मी. व्यास–26 कि.मी.
5.	स्टैण्ड पोस्ट	—	116 नग
6.	एच डी पी ई टंकियॉ	—	187 नग
7.	विविध कार्य	—	ट्रक टैंकर्स, जनरेटर सेट, विद्युत कनेक्शन इत्यादि

fØ;kUo;u dh fof'k"Vrk,! %&

- समस्त कार्यों का निर्माण ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया के माध्यम से कराया गया।
- मेले के दौरान जलप्रदाय व्यवस्था एवं गंदे पानी (सीवेज) का निष्पादन संचालन/संधारण ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्यों में ही सम्मिलित कर प्रस्तावित किया गया था।
- उपरोक्तानुसार ठेकेदारों द्वारा संचालन/संधारण न करने की दशा में केवल संचालन/संधारण हेतु अलग से ठेकेदारों का निर्धारण प्रस्तावित किया गया था। निर्माण एजेन्सी द्वारा ही मेले के पश्चात अस्थाई व्यवस्था को डिस्मेंटलिंग कर विभागीय भंडार में सामग्री जमा करने का प्रावधान भी सम्मिलित था।
- इसके अलावा आवश्यकतानुसार विभागीय अमले के माध्यम से संचालन/संधारण की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इस हेतु न्यूनतम सामग्री की व्यवस्था भी अलग से प्रस्तावित थी।

5-4 e/;in:'k xkeh.k i:; t y dk;Øe %&

विगत वर्षों से भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु

सभी राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों हेतु धनराशि में भारी कमी की गई है जिसके फलस्वरूप विभाग द्वारा किये जा रहे पेयजल कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इस कमी की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये एक नया कार्यक्रम ße/; izns'k xzkeh.k is;ty dk;Øeþ तैयार किया गया है जिसका शत–प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से करेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु कार्यों का क्रियान्वयन किये जाने का प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न पेयजल योजनाओं के माध्यम से बसाहटों का आच्छादन किया जायेगा ताकि ग्रीष्म में पेयजल संकट निवारण हेतु कार्य किये जा सकें। इस कार्यक्रम में समूह नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण भी किया जायेगा।

6 jkT; ty lgk;rk laxBu&

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2009 से प्रभावी तथा माह अगस्त 2013 में संशोधित मार्गदर्शिका में दिए गये निर्देशानुसार प्रदेश में ''राज्य पेयजल मिशन'' के अंतर्गत ''जल सहायता संगठन'' कार्यरत है। इस संगठन के अंतर्गत सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः मानव संसाधन विकास, सूचना शिक्षा एवं संचार, जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी, सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास, अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। जल सहायता संगठन के अंतर्गत संविदा आधार पर स्वीकृत एवं भरे हुये पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

Ø-	in dk uke	Lohd`r in	Lohd`r inksa ds fo#) Hkjs x;s in
v- jkT; Lrj			
1.	संचालक, जल सहायता संगठन	1 पद	1 पद
2.	राज्य स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार)	1 पद	–
3.	राज्य स्तरीय सलाहकार (भूजलविद्)	1 पद	1 पद
4.	राज्य स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	1 पद	–
5.	राज्य स्तरीय सलाहकार (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी)	1 पद	1 पद
6.	लेखापाल	1 पद	–
7.	डाटा इंट्री आपरेटर	1 पद	1 पद
c- ftyk Lrj			
1.	जिला स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास)	50 पद	37 पद
2.	जिला स्तरीय सलाहकार (सूचना, शिक्षा एवं संचार)	50 पद	40 पद
3.	जिला स्तरीय सलाहकार (भूजलविद्)	50 पद	20 पद
4.	जिला स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	50 पद	15 पद
l- fodkl[k.M Lrj			
1.	विकासखण्ड स्तरीय संयोजक (तकनीकी)	313 पद	252 पद
	dqy in	520	368 in

विभाग के भोपाल स्थित गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड को अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में मान्य किया गया है। राज्य तकनीकी एजेंसीज (State Technical Agencies) का चयन एवं विभागीय योजनाओं के परीक्षण, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु समन्वय भी इस संगठन द्वारा किया जाता है। राज्य तकनीकी एजेंसीज (एस.टी.ए.) के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.ए.एन.आई.टी.), भोपाल, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैप कास्ट), भोपाल एवं श्री गोविन्दराम सेक्सेरिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.जी.एस.आई.टी.एस.), इंदौर को चयनित किया गया है।

जल सहायता संगठन के द्वारा मुख्य रूप से संपादित की जाने वाली सहायक गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

1- ekuo lalk/ku fodkl xfrfof/k;k¡% मानव संसाधन विकास के अंतर्गत, विभाग के कार्यालयीन एवं अन्य मैदानी अमले का क्षमतावर्धन, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय तथा पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों की क्षमतावर्धन एवं उन्मुखीकरण कर उन्हें विभागीय गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

ekuo lalk/ku fodkl ds vUrxZr] foHkkx ds dk;kZy;hu ,oa vU; eSnkuh vey s dk {kerko/kZu gsrq ftyk Lrjh; dk;Z'kkyk dk vk;kstu& ftyk v'kksduxj

विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर तद्नुसार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण राज्य स्तर, परिक्षेत्र स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर तक किया जाता है।

लाभांवित समुदाय द्वारा योजनाऐं संचालित एवं संधारित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम हेतु ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 जनवरी

2015 में प्रकाशित होने से अब ये समितियाँ पेयजल उप समिति होगीं। इन समितियों के सदस्यों को पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कैस्केड मोड में प्रशिक्षित किया गया है। इस वर्ष 31.12.2016 तक संपादित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

Ø-	izf'k{k.k dk uke	izf'k{k.kkfFk;ksa dh la[;k
1.	जिला स्तरीय कंसलटेंट का प्रशिक्षण	112
2.	विकासखंड स्तरीय समन्वयकों (तकनीकी) का प्रशिक्षण	252
3.	विभागीय अभियंताओं/ कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	6430
4.	पेयजल उप समितियों के सदस्यों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	15778
5.	फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मैदानी अमला/ पंचायती राज सदस्यों का प्रशिक्षण	9725

foHkkxh; vey }kjk ftyk Lrjh; izf'k{k.k dk vk;kstu& ftyk v'kksduxj

2- lapuk f'k{kk ,oa lapkj xfrfof/k;ka%&

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के प्रचार–प्रसार एवं शुद्ध पेयजल के उपयोग से लाभों की जानकारी को प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां संपादित की जाती हैं। इन गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की एक समिति गठित की गई है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, चलचित्र प्रसारण, जागरूकता रथ का भ्रमण, रेडियो/केबल टी. व्ही. का प्रसारण, ग्रामीण सहभागिता आंकलन (पी.आर.ए.), होर्डिंग्स, नारा लेखन, ग्राम सभा, वार्ड सभा इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

lkIn vkn'kZ xke ckykxq<k] fodkl [k.M eYgkjx<] ftyk eUnlkSj e
ftyk Lrjh; yksd dY;k.k f'kfoj dk vk;kstu

इस वर्ष प्रदेश के सभी जिलों में सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ संपादित की गई हैं :–

Ø-	xfrfof/k;k	संख्या
1	जिला स्तरीय कार्यशाला	31
2	विकासखंड स्तरीय कार्यशाला	222
3	मेला / प्रदर्शनी आयोजन	457
4	आई.ई.सी.वेन / रथ	302
5	होर्डिंग / बैनर / पोस्टर्स	11756
6	दीवार लेखन	6850
7	रेडियो / केबिल प्रसारण व एस.एम.एस.	4
8	ग्राम सभा / ग्रुप मीटिंग	13565
9	स्कूल रैली / वाद–विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताएं	13762
10	चलचित्र प्रसारण	1020
11	आई.पी.सी. / गृह भेंट	20450
12	नुक्कड़ नाटक / गायन एवं नाट्य कार्यक्रम	963
13	प्रचार–प्रसार पत्र (पैम्फलेट्स) वितरण	1475000
14	पी.आर.ए.	2239
15	उद्घोषणा (पी.ए.सिस्टम द्वारा)	61882

प्रचार–प्रसार गतिविधियों को आवश्यकतानुसार गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से भी कराया जाता है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर राज्य स्तर से गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को सूचीबद्ध (इम्पेनलमेंट) किया गया है।

3- vu|l/kku ,o fodkl xfrfof/k;k %&

ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहायक गतिविधियों के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रावधान किया गया है। म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मैपकास्ट) भोपाल एवं बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस (BITS), राँची के सहयोग से हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजीकल मैप्स (एच.जी.एम.नक्शों) को अद्यतन किया जा रहा है, जिसमें वाटर क्वालिटी लेयर को भी अंकित किया जा रहा है।

7- ty xq.koRrk vuqJo.k ,o fuxjkuh dk;Øe %&

ty xq.koRrk vuqJo.k ,o fuxjkuh dk;Øe d vrxr fd; tk jg dk; %&

पेयजल की गुणवत्ता के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा प्रदाय किये जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल परीक्षण प्रयोगशालाऐं स्थापित की गई हैं। प्रदेश में 51 जिला स्तरीय तथा 104 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालायें एवं राज्य मुख्यालय पर राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित हैं, जिनमें पेयजल स्त्रोतों के नियमित जल परीक्षण किये जाते हैं ।

QhYM VfLVx fdV }kjk i;ty dk ijh{k.k& fodkl [k.M c/kuh] ftyk lhgkj

QhYM VfLVx fdV }kjk i;ty dk ijh{k.k& ftyk ';kiqj

- जिला एवं उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं में प्रतिमाह 300 जल नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है।
- भारत सरकार द्वारा जल की पीने के लिये उपयुक्तता के ऑकलन हेतु 14 घटकों का परीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। ये घटक हैं –1. मटमैलापन, 2. पी.एच., 3. रंग 4. हार्डनैस 5. क्लोराइड, 6. क्षारीयता, 7. टी.डी.एस, 8. फ्लोराइड, 9. आयरन, 10. नाईट्रेट, 11. सल्फेट, 12. मैंगनीज, 13. कॉलीफार्म 14. ई–कोलाई परीक्षण।
- इन प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2016–17 में 384701 जल नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से लगभग 164213 पानी के नमूनों की जॉच मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई।
- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त जल नमूनों का प्रति परीक्षण किया जाता है, साथ ही यहाँ सीवेज, जल उपचार में उपयोग में लाये जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता एवं पेयजल के उपचार संबंधी परीक्षण भी किये जाते हैं। यहां पर विभागीय रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों के लिये जल परीक्षण संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2016–17 में दिसम्बर 2016 तक राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा 1813 जल नमूनों का परीक्षण किया गया।
- वर्ष 2016–17 में 22998 पेयजल स्त्रोतों का स्वच्छता निरीक्षण किया गया, जिससे पेयजल स्त्रोतों के उचित रखरखाव में सहायता मिली ।
- वर्ष 2016–17 में जल सहायता संगठन द्वारा संभाग (कमिश्नरी) मुख्यालयों तथा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये। इन प्रशिक्षणों में 8200 मैदानी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त सितम्बर, 2016 में नीरी (नागपुर) में प्रदेश की विभागीय प्रयोगशालाओं के अमले का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें 24 रसायनज्ञों/प्रयोगशाला सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोगशाला कार्यों का डाक्युमेन्टेशन, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं उपकरणों के संचालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया ।

- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा द्वितीय चरण में एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तावित छः जिलों – बैतूल, धार, रतलाम, इन्दौर, छतरपुर एवं नरसिंहपुर की प्रयोगशालाओं के एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यों की प्रगति की समीक्षा व मूल्यांकन किया गया है।
- उपरोक्त प्रयोगशालाओं के एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण का कार्य प्रगतिरत है।

ftyk Lrjh; iz;ksx'kkykvksa esa iz; ty ijh{k.k dk;Z

6- Hkkx & N%

6-1 foHkkxh; izdk'ku ls lEcfU/kr tkudkjh%&

विभाग द्वारा पेयजल स्त्रोतों के समीप साफ–सफाई, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन समय–समय पर किया जाता है, जिसे विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित किया जाता है। जिला स्तर पर भी ऐसी कार्यवाही की जाती है।

7- Hkkx & lkr

7-1 lkjka'k%&

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र शासन के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013–14 से संशोधित मार्गदर्शिका लागू की गई है जिसमें प्रदत्त अधिकारों के आधार पर राज्य शासन द्वारा सभी ग्रामों/बसाहटों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से 500 मीटर की परिधि में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामों अथवा बसाहटों में अधिकतम 30 मीटर की ऊँचाई या निचाई पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था हेतु सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराया जाना तय किया गया है।

ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रायः सभी योजनाएं भूगर्भीय जल स्त्रोतों पर आधारित हैं किंतु भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूगर्भीय जल की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है, विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में अनेकों क्षेत्रों में नलकूपों में जल स्तर नीचे जाने के कारण पानी की कमी की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पेयजल स्त्रोतों के पुनर्भरण संबंधी कार्य भी विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। इसी प्रकार, कठिनाई वाले क्षेत्रों में, जहां भूगर्भीय जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उन क्षेत्रों में व्यवहार्यता के आधार पर, समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन भी विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है जो सतही स्त्रोतों पर आधारित होंगी तथा जल शुद्धिकरण के उपरांत जल वितरण प्रणाली के माध्यम से ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

विभाग द्वारा गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की सभी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं एवं इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है तथा प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को करने का प्रयास किया जा रहा है।

विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों को पेयजल गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिये गये हैं कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड टेस्ट किट्स् प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध कराए गये हैं एवं पंचायत स्तर पर ही पेयजल के सभी स्त्रोतों की गुणवत्ता के परीक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी विभागीय उपखंडों में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं जिससे पेयजल गुणवत्ता परीक्षण कार्य को और प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

इस प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

x.kr= fnol 2016 d volj ij ykd LokLF; ;kf=dh foHkkx iUuk }kjk r;kj djkbl xbl >kdh dk mRd"V iqjLdkj iklr gqvk

x.kr= fnol 2016 d volj ij ykd LokLF; ;kf=dh foHkkx iUuk dh mRd"V >kdh dk iqjLdkj djrs gq;s lJh dqle flg egnsy] ea=h] e-iz- 'kklu] ykd LokLF; ;kf=dh foHkkx ,oa tsy foHkkx

मध्यप्रदेश–जल

e/; izns'k ty fuxe e;kfnr

¼e/; izns'k 'kklu dk miØe½

okf"kZd iz'kkldh; izfrosnu

2016&17

1- Hkkx & ,d

1-1 iLrkouk

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक– एफ16–149 / 2012 / 2 / 34 भोपाल दिनांक 06 जून 2012 द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया, जिसका पंजीयन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 9 जुलाई, 2012 को ''मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित'' के नाम से किया गया। मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित की अंशपूंजी रु. 100.00 करोड़ है।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्त्रोत आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्धता संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1-2 foHkkxh; lajpuk

lapkyd e.My &

1.	माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	–	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	उपाध्यक्ष
3.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण	–	उपाध्यक्ष
4.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	–	उपाध्यक्ष
5.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	–	उपाध्यक्ष
6.	भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	–	संचालक
7.	भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	संचालक
8.	भारसाधक सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	–	संचालक
9.	भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	–	संचालक
10.	भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	–	संचालक
11.	भारसाधक सचिव, जल संसाधन विभाग	–	संचालक
12.	भारसाधक सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग	–	संचालक
13.	प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	संचालक

1-3 e/;izns'k ty fuxe e;kZfnr dk;kZy;

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित है। विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित) प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के अतंर्गत मैदानी कार्यालय के रूप में परियोजना क्रियान्वयन इकाईयॉ क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर में स्थापित की गई हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के कार्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों हेतु सहायक यंत्री स्तर तक के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

Ø-	inuke	Loh—r l[;k
1	प्रबंध संचालक	1
2	मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता)	1
3	महाप्रबंधक / उपमहाप्रबंधक (अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री)	7
4	मुख्य वित्तीय अधिकारी (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा)	1
5	महाप्रबंधक (जन सहभागिता)	1
6	महाप्रबंधक (निजी जन भागीदारी)	1
7	प्रबंधक (उप संचालक, कोष एवं लेखा)	4
8	कम्पनी सेक्रेटरी	1
9	चार्टर्ड एकाउण्टेंट	1
10	प्रबंधक (सहायक यंत्री)	12

1-4 fuxe dk mn~ns'; ,oa dk;Z &

- राज्य के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक स्थान पर परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा उचित वितरण व्यवस्था के साथ वर्ष भर उपलब्ध कराना।
- शहरी / नगरीय / ग्रामों की नलजल योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन, प्राक्कलन, निविदा प्रपत्र निर्माण, निविदाएं आमंत्रण, कार्यादेश, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण।
- भू—गर्भीय तथा सतही जल संसाधनों का संयुक्त (Conjunctive) उपयोग, सुनिश्चित करना।
- राज्य की ग्रामीण नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पेयजल समितियों के गठन, उनमें जल के प्रति सामाजिक तथा पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में सहयोग प्रदाय करना।
- नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले मलजल के निकास एवं उपचार की योजनाओं का आकल्पन एवं क्रियान्वयन करना।
- उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बाह्य सहायता एवं ऋण सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, जिसमें ऋण भी शामिल होगा, की व्यवस्था करना।
- पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं से समन्वय करना।
- पेयजल प्रदाय योजनाओं एवं मलजल निकास योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित नीतिगत निर्णय हेतु राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

2- Hkkx & nks

2-1 foHkkxh; ctV o"kZ 2015&16

jkf'k dh miyC/krk

1. कम्पनी की अंशपूंजी राशि रू. 100.00 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2016—17 में प्रावधानित अंश पूंजी राशि रूपये 45.00 करोड़ मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित को प्राप्त हो चुकी है।
2. भारत सरकार के पत्र क्रमांक क्यू—11050 / 20 / 2013—एग्री, दिनांक 20.09.2013 द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के लिये बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस—2 के अंतर्गत 07 समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं हेतु रू. 252.47 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है। वर्ष 2016—17 में राशि रू. 27.79 करोड़ प्राप्त हुई, जो व्यय की गई।

2-2 ;kstukvksa gsrq _.k

1. xzkeh.k v/kkslajpuk fodkl fuf/k & (RIDF-XIX) अंतर्गत 19 समूह जल प्रदाय योजनाए लागत रु. 1065.15 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 905.36 करोड़ एवं राज्यांश रू. 159.79 करोड़ है।

2. xzkeh.k v/kkslajpuk fodkl fuf/k & (RIDF-XX) अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 06 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रू. 476.92 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 394.14 करोड़ एवं राज्यांश राशि रू. 82.78 करोड़ है।

3. foRrh; o"kZ 2016&17 esa xzkeh.k v/kkslajpuk fodkl fuf/k & (RIDF-XXII) अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 03 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रू. 300.77 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 250.04 करोड़ एवं राज्यांश राशि रू. 47.84 करोड़ है।

4. वर्ष 2016–17 में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन पर माह दिसम्बर, 2016 तक राशि रू. 170.10 करोड़ का व्यय हुआ।

3- Hkkx & rhu

3-0 lewg ty iznk; ;kstuk,a

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्त्रोतों पर आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रस्तावित योजनाओं का चयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया गया है।

3.1 नाबार्ड द्वारा RIDF अंतर्गत स्वीकृत समूह जल प्रदाय योजनाओं में से 16 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.2 बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत कुल 07 समूह जल प्रदाय योजनाऐं स्वीकृत हैं, जिनमें से 03 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं तथा शेष 04 समूह जल प्रदाय योजनाओं को पुनरीक्षित किया गया है।

3.3 वित्तीय वर्ष 2016–17 में 10 योजनाओं की डी.पी.आर. तकनीकी कन्सलटेंटों के माध्यम से तैयार कराई गई है एवं 30 समूह जल प्रदाय योजनाओं का सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगतिरत है।

3.4 वित्तीय वर्ष 2016–17 में 12 समूह जल प्रदाय योजनाएं राशि रु. 1865.82 करोड़ के क्रियान्वयन हेतु माईनिंग ऐरिया सेस फण्ड अंतर्गत प्रस्तावित की गई हैं।

3.5 समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बाह्य वित्तीय सहायतित परियोजनाओं अन्तर्गत जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (JICA) से वित्तीय सहायता का प्रस्ताव राशि रु. 3000.00 करोड़ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

3.6 समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बाह्य्य वित्तीय सहायतित परियोजनाओं अन्तर्गत BRICS, New Development Bank (NDB) से ऋण प्रस्ताव राशि रू. 4500.00 करोड़ आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा BRICS, New Development Bank (NDB) को प्रेषित किया गया।

4- Hkkx & pkj

4-1 izpkj&izlkj xfrfof/k;k¡%

- समूह जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली ग्रामों के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों में समूह जल प्रदाय योजनाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ग्रामों में प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्धन गतिविधियों का क्रियान्वयन जल सहायता संगठन के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।
- क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के ग्रामों में ''मध्यप्रदेश ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण नियम–2015'' के अनुसार पेयजल उपसमितियों का गठन किया जा रहा है।

लोकार्पण
श्री पंकज अग्रवाल
एवं

जल भवन

ykd LokLF; ;kf=dh foHkkx] e/; in'k